सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–01)	शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018 / 16 चैत्र, 1940 (शक)	अंक–79
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	4–36
4.	ध्यानाकर्षण (नियम–54)	37–93

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018 / 16 चैत्र, 1940 (शक) अंक–79

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री रामचन्द्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बन्दना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान

19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान
21. श्री शिवचरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. श्री सुरेन्द्र सिंह
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीण कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्रीमती प्रोमिला टोकस
36. श्री नरेश यादव
37. श्री करतार सिंह तंवर
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
41. श्री सही राम
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्लाह खान
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री ओमप्रकाश शर्मा
48. श्री एस.के. बग्गा
49. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50. मो. इशराक
51. श्री श्रीदत्त शर्मा
52. चौ. फतेह सिंह
53. श्री जगदीश प्रधान
54. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) अंक–79

सदन अपराह्न 2.12 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी का हार्दिक स्वागत। आज स्कूल की वेल खराब हो गयी है।

श्री ओमप्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने रामनवमी का जो मामला है, वो वापस ले लिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अभी वापस नहीं लिया है।

श्री ओमप्रकाश शर्माः वापस नहीं लिया है तो चालू करो। वापस नहीं लिया है तो चालू करो।

माननीय अध्यक्षः मनडे के कार्यक्रम में डाला है।

श्री ओमप्रकाश शर्माः नहीं, हम तो विरोध करेंगे। आप ने ले लिया, हम तो यही समझ रहे थे।

माननीय अध्यक्षः एक बार।

श्री ओमप्रकाश शर्माः भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप उसको वापस लें लें।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। आज के लिए हटाए हैं। आज मेरा प्रयास रहेगा, ये सारा पूरा हो जाये। मनडे पर गया, वो भी मनडे पर गया कोई नहीं हटाया जो एजेन्डा एक बार डिक्लेयर हो गया सदन में। देखिए, इस पर समय न खराब करें। आज का बहुत मुश्किल एजेन्डा है। सभी का हार्दिक स्वागत।

नियम–280, श्री जगदीश प्रधान जी। चलिए, प्लीज।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से करावल नगर विधान सभा और मुस्तफाबाद विधान सभा के अन्दर, मैंने पहले भी कई बार जीन्स की अवैध फैक्टरी रंगाई की जो चल रही हैं उनके बारे में सदन को पहले भी कई बार अवगत करा चुका हूँ। अभी फिर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ सभापुर गाँव है जैसे... चालीस से ज्यादा जीन्स की रंगाई की फैक्टरी चल रही हैं और जिनका पानी सीधा जमीन के अन्दर उतारा जा रहा है। और कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि एक ही गाँव के अन्दर 25 से 30 लोग कैन्सर से पीड़ित हैं। इसी तरह से पहले शिव विहार में, पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था, वहाँ भी 50 के करीब लोग कैन्सर से पीड़ित थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस पर अविलम्ब, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जितनी भी जीन्स की फैक्टरी रंगाई की चल रहीं हैं, उनको तुरन्त बन्द किया जाए। ये स्वास्थ्य

के लिए बहुत ही हानिकारक है। इनके कारण कैन्सर पैदा होता है। जैसे पेशाब थैली, किडनी, त्वचा कैन्सर विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। जब ये विषैला पानी खेतों में पहुँचता है तो वहाँ पैदा होने वाली फसलों में भी जहरीले तत्व पाये जा रहे हैं। इनको खाने से कैन्सर फैलता है। यहाँ तक कि यह भूमिगत पानी को भी दूषित कर रहा है। क्योंकि हर जगह जल बोर्ड का पानी नहीं है। लोग हैण्ड पम्प का पानी पीते हैं। इसके कारण यहाँ कैन्सर जैसी भयंकर बीमारियाँ तेजी से फैल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली विधान सभा की बैठकों में भी ये मामले कई बार उठाये गये परन्तु बहुत खेद की बात है कि आज तक इन पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अन्त में मंत्री महोदय से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए अविलम्ब अवैध फैक्टिरियों को क्षेत्र से हटाया जाए ताकि इन क्षेत्रों के निवासी के ऊपर से कैन्सर जैसी भयानक बीमारी का साया हट सके।

अध्यक्ष जी, इसके साथ में एक यमुना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो पन्टून पुल आप सरकार ने बनवाया है, उसके आसपास में जो खेती हो रही है, चाहे वो सब्जी उठाई जा रही हो या आने वाले गर्मियों में जो मौसमी फल होता है; तरबूज, खरबूजा जैसे उसमें जो यमुना की हालत आप जाकर के देखें एक बार, वहाँ जो यमुना के अन्दर पानी है, वो पानी में कितना जहर है और वही जहर उन सब्जियों के अन्दर दिया जा रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ जो खेती हो रही है, उसको तुरन्त रोका जाए। वहाँ सब्जी बैन की जाए, जो सब्जी वहाँ न बेचें। जो आदमी 15 दिन उस सब्जी

को खा लेगा, मैं समझता हूँ वो कैन्सर या लीवर की बीमारी से वगैर अछूता नहीं रहेगा।

तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार इतना ही कहूँगा कि इन पर तुरन्त कार्रवाई की जाए, धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः श्री अजय दत्त जी, अनुपस्थित। श्री एस.के.बग्गा जी। बग्गा जी का नाम लॉटरी में डेली आ जाता है लगभग।

श्री एस. के. बग्गा: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कृष्णा नगर विधान सभा में एक डीएवी पब्लिक स्कूल, मौसम विहार की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस डीएवी पब्लिक स्कूल को डीडीए से जगह मिली हुई है। डीडीए के एग्रीमैण्ट में भी लिखा है कि 25 परसेंट बच्चों को इडब्ल्युएस फ्री एजूकेशन देंगे; पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कई बच्चों के माता–पिता शिकायत कर रहे हैं कि ईडब्ल्युएस के बच्चों से जो अभी हाल में आठवीं पास करके, पास की है। नाइन्थ क्लास में फीस मांगी जा रही है। मैं 3/4/2018 को स्कूल गया तो एक घण्टे के इन्तजार के बाद मिलने दियाँ कई बार टेलीफोन भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं, टेलीफोन उठाते ही नहीं। प्रिंसिपल से बात हुई तो मैंने कहा कि मेरी विधान सभा में सभी प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्युएस के बच्चों से आठवीं के बाद फीस नहीं ले रहे हैं तो आप क्यों बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल बोलीं, 'जो करना है, कर लो। मैं फीस लूँगी नहीं तो बच्चों को स्कूल से निकाल दूँगी।'

अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल की मुझे बहुत शिकायतें आतीं हैं। माता–पिता स्कूल में मिल नहीं सकते। डीएवी पब्लिक स्कूल, मौसम विहार बच्चों को कापियाँ, स्कूल बैग, किताबें, वर्दी आदि स्कूल से जबरन दे रहें हैं। स्कूल में दुकानें खोल रखीं हैं। अपनी बसें हैं जिसमें बच्चों को स्कूल लाते हैं तथा घर छोड़ने जाते हैं। ये सारी सेल व सर्विस वैट, जीएसटी के अन्दर टैक्सेबल है। ये स्कूल कई सालों से बच्चों से जबरदस्ती कर रहा है व टैक्स की चोरी कर रहा है। पिछले सालों में भी ईडब्ल्युएस के नौवीं कक्षा के बाद फीस ली है तथा बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि इस स्कूल की पिछले छः वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाए तथा वैट, जीएसटी की पूरी जाँच की जाए व स्कूल में कमेटी बनाई जाए जिससे लोग अपनी शिकायतें सुना सकें तथा उनका समाधान हो सके। स्कूल पूरी तरह गुण्डागर्दी पर उतरा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि डीएवी स्कूल, मौसम विहार के खिलाफ कार्रवाई की जाये तथा ईडब्ल्युएस के बच्चों के हकों की हिफाजत की जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। सिरसा जी, (अनुपस्थित), सरेन्द्र सिंह जी कमाण्डो जी भी (अनुपस्थित)। श्री रामचन्द्र जी।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, 280 में मेरा भी लगा हुआ है।

माननीय अध्यक्षः अभी देखते हैं।

... (व्यवधान)

श्री विशेष रवि: अध्यक्ष जी, जो लोग नहीं आए हैं...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं अभी देख लूँगा जी। दो मिनट रुकिये प्लीज। रामचन्द्र जी।

श्री रामचन्द्र: अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दियाँ मैं आपका...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रामचन्द्र जी, आप सीधे खड़े होकर बोलें। झुकें नहीं प्लीज।

श्री रामचन्द्र: अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बवाना विधान सभा सैक्टर–एक, सैक्टर–दो, सैक्टर–तीन, चार और पाँच में जो फैक्टरियाँ हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उनमें से लगभग 16 हजार फैक्टिरियाँ हैं जिसमें से साढ़े 14 हजार फैक्टरियाँ रेसिंग में हैं जो कार्य कर रही हैं। उनको अपने टैक्स भरने के लिए पटपड़गंज जाना पड़ता है जो कि हमारे बवाना से लगभग 40–45 किलोमीटर दूरी पर है। अगर उनका पे ऑर्डर उस दिन नहीं जमा होता तो उनको वापस करके भेज दिया जाता है। वो हताश होकर बेचारे दोबारा आते हैं, फिर दूसरे दिन बनवा कर ले जाते हैं, तब उनका पे ऑर्डर जमा हो पाता है। तो इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसके लिए कोई बवाना में ऑफिस और बहुत सारे बैंक हैं जो कि उनका टैक्स वहाँ भी जमा हो सकता है, यह बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, फैक्टरियाँ बवाना की नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, मोदी सरकार ने या भाजपा सरकार ने उनके लिए एक ऐसा सौतेला व्यवहार करा है कि

त्राहि–त्राहि पूरे देश के अंदर... बवाना के अंदर नहीं, सब दुःखी है क्योंकि कहीं जीएसटी लगा दी, कभी कुछ लगा दिया तो सब दुःखी है अध्यक्ष जी। इसलिए इनका टैक्स यहीं जमा हो सके, आपसे प्रार्थना है इनके लिए यहीं व्यवस्था कराई जाए, टैक्स जमा कराने की, जयहिंद, जयभारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री गिरीश सोनी जी।

श्री महेंद्र गोयलः अध्यक्ष जी, ये ग्राउंड रेंट की बात कर रहे हैं जो ग्राउंड रेंट है। ग्राउंड रेंट डीएसआईआईडीसी के उसमें जमा होता है और एक ऑफिस वहीं पर बवाना के अंदर खुल जाना चाहिए। यह आपसे रिक्वेस्ट है।

माननीय अध्यक्षः ये बात वैट की की है उन्होंने या जीएसटी की?

श्री महेंद्र गोयलः नहीं, ग्राउंड रेंट के लिए। एक ग्राउंड रेंट जमा होता है। ग्राउंट रेंट होता है जो फैक्टरी मिली हुई है, लिस्ट में होती है, उसका ग्राउंड रेंट होता है। उसको क्लियर कर रहा हूँ इसलिए ताकि वो हो सके।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, धन्यवाद। श्री गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के तहत् अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं 2015 से एक लाइब्रेरी अपने क्षेत्र में बनवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने पत्र लिखा है समाज कल्याण मंत्रालय को इस विषय में और लगातार इसके लिए मैंने 2016, 2017, 2018... लेकिन अभी तक समाज कल्याण विभाग के पास वो जगह है और वो राजी भी हो जाते हैं लेकिन एक ही बात पर बात अटक जाती है कि इसकी मेन्टेनेंस कौन करेगा, लाइब्रेरी का रख–रखाव कौन करेगा। अध्यक्ष जी, यह सवाल जो उठता

है, वो यह है कि विभाग खुद देखे इसको कि किसको इसको दिया जाना है, किसी एनजीओ को दिया जाना है या किसको दिया जाना है या क्षेत्र के अंदर अगर विधायक की मदद होती है तो...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोनी जी, आपका जो है, मैं गलत तो नहीं देख रहा, जो आप बोल रहे हैं वो यह नहीं लगा।

श्री गिरीश सोनीः मैंने लगाया तो यही था जी।

माननीय अध्यक्षः यह तो पहले आपका 280 में आ चुका है। जो मेरे पास आया है।

श्री गिरीश सोनीः यह 280 में कब आ गया जी?

माननीय अध्यक्षः जो मेरे पास लिखित में आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो आप बोले रहे हैं, वो मेरे पास नहीं है।

श्री गिरीश सोनीः कौन सा है?

माननीय अध्यक्षः आपका आया हुआ है 280 में मेरे पास, आपका ध्यान 1040 शहीद भगत सिंह कालोनी...

श्री गिरीश सोनीः यह तो मैं कल बोल चुका हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह बोल चुके हैं, मुझे ध्यान है।

श्री गिरीश सोनीः मैंने तो यह लगाया था।

माननीय अध्यक्षः चेंज होगा। गलती से आ गया है यह। बोलिए आप, क्या बोल रहे हैं प्लीज। दोबारा से बोलिए।

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के अंदर एक लाइब्रेरी खुलवाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है; 25–25 गज के मकान हैं, छोटे–छोटे मकान हैं। लोगों के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समाज कल्याण विभाग को, मैं 2015 में भी एक पत्र लिख चुका हूँ।

2015 में जो पत्र मैंने लिखा है और 2016, 2017, 2018 लगातार पत्र लिख रहा हूँ लेकिन अभी तक उस लाइब्रेरी के विषयमें यह जरूर आया है कि लाइब्रेरी समाज कल्याण विभाग खोल कर दे सकता है। डीयूएसआईबी द्वारा भी बात की गई तो वो उसका कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। समाज कल्याण की जगह है लेकिन एक ही बात पर बात अटक जाती है कि इसका रख–रखाव, पुस्तकालय का रख–रखाव कौन करेगा, इसका हवाला देकर डिपार्टमैंट उससे अपने पैर पीछे खींच लेता है। अगर रख–रखाव की बात है तो डिपार्टमैंट खुद बताये या कोई नियम कानून या इसको एनजीओ को दिया जा सकता है कि पुस्तकालय एनजीओ चलाये तो हम एनजीओ का पता करें या समाज कल्याण विभाग उसके विषय में अपने माध्यम से उस पर कार्रवाई करके किस तरह से उसको चलाया जा सकता है। जहाँ विधायक की आवश्यकता होती है जैसे अलॉटमैंट की जाती है किसी एनजीओ को, वी.वी. की अलॉटमैंट की जाती है तो वो एनजीओ ढूँढकर लिया जाता है, क्या ऐसा हो सकता है तो विभाग इसके विषय में एक ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ठोस जवाब दें और यह किस तरह से खुल सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में लाइब्रेरी पूरे विधान क्षेत्र के अंदर कोई एक लाइब्रेरी नहीं है। मैं यह चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिल्ली में ब्लड बैंकों की दयनीय व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूँ। जो ब्लड बैंक हैं, किसी भी मरीज के लिए ब्लड का जो महत्व है, वो पूरा देश जानता है और जब इस प्रकार की चीजों में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उससे हम सब की आँखें खुल गई हैं। कुल 68 बैंकों में से 32 के पास लाइसेंस नहीं है और यह सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है। इन ब्लड बैंकों के जो लाइसेंस हैं, नवीनीकरण के लिए लंबित पड़े हुए हैं, न तो वो कैंसल किए जा रहे हैं, न उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर ब्लड बैंक आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वॉलेन्टरी ब्लड डोनेशन लगभग आधा हो गया है। यह बहुत ही संवदेनशील मामला है। जब भी एक व्यक्ति ब्लड देता है, उससे चार–पाँच लोगों की जान बचती है। ब्लड बैंकों पर सरकार की निगरानी और निरीक्षण अपर्याप्त है जो कि गलत है।

अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि लंबित पड़े लाइसेंसों के प्रार्थना पत्रों पर तुरंत निर्णय लिया जाए और ब्लड बैंकों के ऊपर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि वहाँ से जो मिलने वाला ब्लड है, वो लोगों की जान बचाये, न कि किसी प्रकार का मरीजों को नुकसान पहुँचाये और समय–समय पर उनका निरीक्षण किया जाये, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। आदर्श शास्त्री जी (अनुपस्थित)। श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे अपनी क्षेत्रीय समस्या उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में मसूदपुर डेयरी है, वसंतकुंज जो पॉश एरिया है उसके बीचों–बीच है। अध्यक्ष जी, यह 1976 में ये डेयरियाँ अलॉट की गई थीं। लगभग 114 प्लॉट्स हैं यहाँ पर और दूर–दराज के एरिया से यहाँ पर डेयरी फार्मिंग का काम करते थे, उन लोगों को यहाँ डेयरियाँ दी गई थी लेकिन 1996 और 1998 के बीच में इन डेयरियों को यहाँ से शिफ्ट करने का एक प्रपोजल आया था जो कि शिफ्ट नहीं की गई और उस समय एलजी महोदय के यहाँ पर यह मीटिंग हुई, डीडीए के सारे अधिकारियों के साथ में कि इनको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया जाये और इसके लिए जो डेयरी में रहने वाले लोग हैं क्योंकि उनको पानी की वहाँ पर भारी किल्लत रही, उससे उन्होंने धीरे–धीरे डेयरी का काम छोड़ दिया और वहाँ पर वो मकान बिल्ट–अप हो गए, आज वो एक बड़ी अच्छी रेजिडेंशियल कालोनी है जहाँ पर डेयरी का काम लगभग–लगभग समाप्त हो चुका है। 90 परसेंट मकान बन चुके हैं। 2006 में इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपनी एक पेटिशन डाली है; सिविल रिट पेटिशन, जिसमें 2011 के ऑर्डर में जस्टिस राजीव सहाय एंडलो ने एक ऑर्डर दिया था कि जब दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कालोनीज को रेगुलराइज किया गया है तो मसूदपुर डेयरी को क्यों नहीं किया जा सकता। तो यह काफी दिनों से लटका हुआ है। इसमें मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे सीएम, दिल्ली हैं क्योंकि जितनी भी अनऑथोराइज्ड कालोनीज हैं, उसमें हम काम भी करा रहे हैं और उनको पास करने का भी प्रपोजल हमने भेजा हुआ है। मैं यह निवेदन करूँगा डीयूएसआईबी डिपार्टमैंट से भी, क्योंकि डीयूएसआईबी डिपार्टमैंट यहाँ पर डेयरियों से लाइसेंस फीस लेता है। यहाँ पर न तो पानी की व्यवस्था है, न यहाँ पर रोड्स बने हुए हैं तो इस कालोनी को मसूदपुर डेयरी को इसको रेजिडेंशियल कालोनी में कन्वर्ट किया जाए, पास किया जाए और यहाँ के जो डेवलपमैंट वर्क हैं; रोड, सीवर, पानी, ये सारे के सारे काम

कराए जाएं। यही मैं निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, कि इसमें क्योंकि यहाँ पर अगर आप अभी जाते हैं तो रोड की बहुत बुरी हालत है और वो हम लोग भी नहीं करा पा रहे हैं। एमएलए लैड फंड भी वहाँ पर नहीं लग रहा है। डीडीए के पास जाते हैं तो डीडीए काम नहीं करता। ड्यूसिब के पास जाते हैं तो ड्यूसिब काम नहीं करता। सभी का यही कहना है कि ये डेयरी थीं, रेजीडेंसियल कालोनी बन चुकी है तो मेरा ये निवेदन है कि इसको रेजीडेंसियल कालोनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो भी डेवलपमैंट फीस अगर लगानी है, तो वो देने के लिए सब लोग तैयार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 280 में मुझे अपने क्षेत्र के विषयको उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर वैसे तो पानी की स्थिति थोड़ी बेहत्तर बेहत्तर हुई है पिछले दिनों में लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं मेरी विधानसभा में, जहाँ कि पानी की स्थिति बहुत ही बदत्तर है। अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र के अंदर चूंकि पानी की समस्याएं दो तरह की हैं...

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। ये विषय पूरी दिल्ली का विषय है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई गिरीश जी, किसी विधायक ने चर्चा माँगी अब तक? अब नहीं माँगी जा सकती, लिखित में नहीं आया, देखिये लिखित में चर्चा आई, उन पर मैंने चर्चा करवाई है।

श्री सोमनाथ भारतीः एक तो पानी की उपलब्धता के ऊपर है कि पानी उपलब्ध ही नहीं है। पिछले दिनों वो पानी उपलब्ध भी हो गया लेकिन जो

पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो इतना फॉल्टी है जो कि हमारे हाथ में उसको हम ठीक कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास हुमांयूपुर, अधचीनी, सफदरजंग इन्क्लेव और एनडीएससी पार्ट–2 का जी एंड के ब्लाक, सर्वोदय इन्क्लेव, गौतम नगर, मस्जिद मोठ, हौजखास इन क्षेत्रों के अंदर पानी की किल्लत इसलिए है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉल्टी है। हम कई बार इस बात को संज्ञान में ला चुके हैं दिल्ली जलबोर्ड के लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लियाँ मुझे कई बार सदन के जरिए बताया गया कि भई हम दो वक्त सप्लाई शुरू कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र ऐसा है सौभाग्यवश जहाँ कि पहले से ही पानी का दो वक्त सप्लाई हो रहा था। ये बात सही है कि हमने कई सारे क्षेत्रों को ट्यूबवैल से जो हमारा सोनिया विहार का पानी का सप्लाई है, उस पर शिफ्ट किया है लेकिन पानी का सप्लाई दो वक्त से घटाकर एक वक्त कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ मंत्री जी के कि जहाँ जहाँ दो वक्त का सप्लाई पहले मेरे क्षेत्र में था, वहाँ दो वक्त का सप्लाई रेस्टोर किया जाए क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था अपने वक्तव्य में कि जहाँ भी, जो भी पानी की सप्लाई की स्थिति है, उससे की जाएगी लेकिन मेरे यहाँ वो बात नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी बड़ी समस्या मेरा क्षेत्र झेल रहा है, वो है गंदे पानी की सप्लाई। वो बकायदा इनके हाथ में है। भई, गंदे पानी की सप्लाई क्यों हो रही है? जहाँ कहीं भी सीवरेज से पानी के पाइप का नेटवर्क मिल रहा है, वहाँ गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे कई विधायकों के क्षेत्र में ऐसा हो रहा होगा। गंदे पानी की सप्लाई तो हमारे डिपार्टमैंट के हाथ में है। उसमें तो किसी हरियाणा का हाथ नहीं है। तो

जहाँ तक मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि भई, अपने डिपार्टमैंट के जरिए जहाँ कहीं भी सीवर की लाइन और पानी की लाइन मिल रही है, उसको ठीक किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत पहले ये फैसला किया था कि जो लास्ट माइल कनैक्टिविटी है जो आपका हाउस सर्विस कनेक्शन है, वो सरकार क्या करेगी लेकिन अभी तक उस पॉलिसी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब तक हाउस सर्विस कनेक्शन जलबोर्ड अपने हाथ में नहीं लेगा तब तक लोगों के पास छूट रहेगी कि भई, वो जब मर्जी चाहें पाइप खोदें, जब मर्जी चाहें पाइप के अंदर अपना पाइप जोड़ लें। तो ये मुसीबत बनी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ चीजें लिखकर के दी हुई हैं सरकार को, वैसे उस पर अभी तक तो कोई विचार हुआ नहीं है और मुझे मालूम नहीं है कि इस वक्त अभी तो न तो वाइस चेयरमैन न मंत्री जी हैं यहाँ।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी मुसीबत हमारा क्षेत्र झेल रहा है कि जहाँ जहाँ पर पाइप लाइन डली हैं, उन जगहों के रोड्स को रेस्टोर नहीं किया गया है। तो मेरा पूरा क्षेत्र खुदा पड़ा है।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः नहीं नहीं, हमने तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ के हमने पैसे दे रखे हैं एमसीडी को। दो तरह के रोड्स हैं; कुछ तो आपने खुद खोद रखा है क्योंकि जो पॉलिसी बनी थी, वो बनी ये थी कि भई अब जो एजेंसी खोदेगी, वही बनाएगी। अब देखिये, क्षेत्र के अंदर मुसीबत क्या हो रही है कि भई, जनता को नहीं मालूम किसने करना है लेकिन जहाँ कहीं भी पाइप लाइन डली है मेरे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सीवर का

हो या पानी की पाइप लाइन हो, वहाँ पर अभी रोड को रेस्टोर इन्होंने किया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक पॉलिसी पीछे आई थी कि वाटर कनेक्शन स्लम्स में हम इसको रेगुलराइज करेंगे लेकिन आज तक उस पॉलिसी का कोई संज्ञान नहीं दिया गया क्योंकि अभी तक स्लम्स के अंदर वही जो पहले भीड़ लग रही थी, वही भीड़ आज भी लग रही है तो मैं आपके जरिए इस बात को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी बननी थी स्लम्स को लेकर के, कि स्लम्स में भी अंदर कालोनीज की तरह इंडीविजुअल वाटर कनेक्शन दिये जाएंगे, उसके ऊपर काम किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा हास्यास्पद है कि प्राइवेट वाटर टैंकर्स में मोटर लगे होते हैं। अगर आप जलबोर्ड के वाटर टैंकर दो हमें पानी पहुँचाना है तो उनके वाटर टैंकर्स में मोटर नहीं लगे हुए हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्राइवेट वालों के वाटर टैंकर में तो मोटर लगे हैं लेकिन जलबोर्ड के वाटर टैंकर में कोई मोटर नहीं लगी है। क्या कहते हैं कि जी, कभी कोई हादसा हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी तो इस कारण से एक भी वाटर टैंकर जलबोर्ड के पास नहीं जिसमें कि मोटर लगा हो। तो आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि भई, जब अगर प्राइवेट के पास उपलब्ध है तो हमारे पास उपलब्ध क्यों नहीं है, अध्यक्ष! महोदय?

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी हमने आपके जरिए उनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये सारे वो सुझाव हैं जिसको लागू करने के बाद खासकर के मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी की मुसीबतों का कुछ समाधान हो पायेगा।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गर्ग जी... नहीं, एक सेकंड, मैं पहले जो दो विधायक आ गये हैं, एक बार जो मेरे पास रूटीन में हैं, उनको मैं ले लूँ। जिनका 280 में लाटरी में आया है पहले उनको लूँगा। विशेष रवि जी, नियम ऐसे नहीं चलेगा। नियम तो नियम से बनेगा ना जी।

श्री विजेन्द्र गर्गः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे एक बड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर 280 के तहत बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष जी, आजकल इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इंसान मशीन बनकर रह गया है। बच्चों पर शिक्षा का इतना बोझ है कि बच्चों की आउट डोर एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं। ऐसे समय में जनस्वास्थ्य एक चेलेंज है। इसी के मद्देनजर मैंने अपनी विधानसभा में विधायक निधि कोश से जनता की बार बार डिमांड पर बच्चों के खेल–उपकरण झूले इत्यादि एवं जिम लगाने के लिए एक प्रस्ताव फ्लड इरिगेशन डिपार्टमैंट को दिया, उसमें लगभग 20 पार्क में बच्चों के झूले और चार पार्क्स में ओपन जिम लगने थे। अध्यक्ष महोदय, ये ओपन जिम और झूले फ्लड इरिगेशन ने इसका इस्टीमेट बनाकर योजना पास कर दी। विधायक निधि कोश से डूडा के द्वारा पैसा आ गया और साथ ही साथ डीसी करोलबाग एमसीडी को एक पत्र दिया गया विभाग के द्वारा कि ये झूले और जिम हम इन इन पार्कों में लगाना चाहते हैं, जनता की बहुत भारी डिमांड है। कृपा करके आप इसकी एनओसी देने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी, ये बड़े खेद का विषय है एक कि वर्ष के पश्चात भी एनओसी देना तो दूर की बात है, उन्होंने उस पत्र का कोई जवाब तक नहीं दिया, हमने दिसंबर 2017 में फिर से एक चिट्ठी उनको लिखी। एक लैटर मैंने अपनी तरफ से भी लिखा कि भई जनता की बार बार डिमांड आ रही है पेरेंट्स बच्चों को को ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की आउट

डोर एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। पार्क बंजर पड़े हैं, विरान पड़े हैं एमसीडी के, उजड़े हुए पड़े हैं तो आप इनमे कुछ कीजिए। हमने झूलों की स्कीम बना दी। झूले पास हो गये लेकिन एनओसी उनकी तरफ से नहीं आई। हारकर, थककर हमने जनता के सहयोग से उन पार्कों में झूले लगाने शुरू किये क्योंकि झूले आए हुए रखे थे। जिम भी लगाने शुरू किए लेकिन जैसे ही हमने वो कार्य शुरू किया, एमसीडी के लोग आते हैं, पार्षद के कहने पर, स्थानीय पार्षदों के कहने पर जो भाजपा के पार्षद हैं, उनके कहने पर उनमें बार बार लगने में रूकावट डाल रहे थे लेकिन कहते हैं, ये लोकशाही में जनता सर्वोपरि होती है, जनता ने उनका मुकाबला किया और जनता ने अपने पार्कों में झूले लगवाए और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने उन झूलों को देखा। दिल्ली के अंदर ऐसे झूले पहली बार लगे होंगे बिलकुल मॉडर्न झूले देखकर लोग खुश हुए और उन्होंने कोटि कोटि दिल्ली सरकार को धन्यवाद किया।

मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे विधान सभा के अंदर एक पार्क है; 6ए ब्लॉक डब्ल्युई, ये करोल बाग का पार्क है। वहाँ इन पार्षदों ने पता नहीं क्या जिद्द पकड़ ली। सब पार्को से झूले उखड़वाने का कार्य उन्होने शुरू किया लेकिन जनता उनके सिर पर खड़ी हो गई अध्यक्ष जी। एक पार्क में वहाँ जनता को पता नहीं चल पाया, एक पार्षद के कहने पर एमसीडी के अधिकारी आए और लगे हुए झूलों को वहाँ से उखाड़ दिया गया वहाँ लगातार जब जनता को पता लगा तो वो लेडीज बच्चे वहाँ पर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। बच्चों ने कहा, 'अंकल, हमारे झूले छोड़ दीजिए। बडी मुश्किल से हमें झूले मिले हैं।' लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। वो झूले बेस समेत वो एमसीडी के लोग उखाड़ कर ले गए। नार्थ एमसीडी का ये कुकर्त्य है।

मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार को और एमसीडी को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तरह के जनविरोधी कार्य न करें। क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं रहे और हमारे विधायक कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए, जनता के स्वास्थ्य को बेहत्तर बनाने के लिए, जनता को व्यायाम की जगह मिल सके, उसको करने के लिए तो ये नित नए अड़चन लगा रहे हैं। इस पर गम्भीर संज्ञान ले करके एमसीडी को ये डायरेक्शन दी जाए कि बिना एनओसी के भी पार्को में झूले लग सकते हैं। पार्क जनता के हैं, किसी के बाप के नहीं हैं। अगर एमसीडी ये सोचे कि हमारी वो निजी जायदाद है तो ये वहम अपने मन से निकाल दें और मैं ये सदन से कहना चाहता हूँ कि वो आज इस सदन में पास करें कि एनओसी पार्को में कार्य के लिए, विधायक फंड के इस्तेमाल के लिए किसी एनओसी की जरूरत न पड़े और विधायक उन पार्कों की बेहत्तरी के लिए जो करवाना चाहे, बिना एमसीडी की एनओसी के करवा सके, धन्यवाद, जय हिन्द–जय भारत।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड ओम प्रकाश जी, ये चर्चा का विषय है। सभी विधायकों की पीड़ा है। दो मिनट रुक जाइए। मैं 280 पूरा कर लूँ। फिर इसमें विशेष जी, आप ये भी चाहते हैं आपका आ जाए और ऐसे समय को बर्बाद करेंगे। मैं आलरेडी लिख चुका हूँ, इसमें क्या एक्शन लेना है।

श्री ओम प्रकाशः मुझे ज्यादा लम्बी बात नहीं करनी। ये जो कह रहे हैं सदस्य, हम इससे सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदयः मैं एक बार ये पूरा कर लूँ। इसको फिर पाँच मिनट रख दूँगा। श्री आदर्श शास्त्री जी। इसके बाद सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि नियम 280 के तहत आपने बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूँ द्वारका विधान सभा में जो रेवेन्यू डिपार्टमैंट के एसडीएम हैं, उनकी खुली बेइमानी की तरफ। आज तीन साल से ऊपर हो गए हैं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को आए, और न जाने क्या समस्या है द्वारका में जो भी एसडीएम आते हैं, वहाँ पर डीडीए की लैंड की कुछ समस्याएं हैं जो एमडीएम दूर कर सकते हैं। मगर उसमें कोई कार्रवाई पिछले तीन वर्षों से नहीं हो रही है। द्वारका विधान सभा के अन्दर लगभग 20–25 एकड़ जमीन है, जो डीडीए की है और उस पर 74(4) के केस चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 74(4) के केस का मतलब ये होता है कि जो जमीन है, वहाँ उस जमीन पर खेती हो सकती है, मुर्गी पालन हो सकता है, नर्सरी बन सकती है, सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी कॉमर्शियल कार्य, कोई भी ऐसा काम जिससे व्यापार हो, वो उस पर नहीं हो सकता। मेरे यहाँ जो द्वारका विधान सभा में जो जमीन है, इस पर तीन अवैध काम ऐसे चल रहे हैं जिसका सीधा–सीधा एसडीएम के कार्य क्षेत्र में वो आते हैं और उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। पहला, रेता बजरी का पूरा एक वो सेंटर बन गया है। वो वहाँ से न केवल विधान सभा के अंदर, पूरे जिले के कई इलाकों में रेता बजरी सप्लाई होता है जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। एनजीटी के कानून के खिलाफ है। दूसरा वहाँ पर मछली मीट का बाजार पूरी तरह से खड़ा हो गया है। लगभग आज 70–80 दुकानदार वहाँ पर बैठते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न केवल ये गैर कानूनी है और अवैध है। एयर पोर्ट की सीधे तीन किलोमीटर की दूरी में पड़ने के हिसाब से किसी भी तरह से वहाँ पर मीट और मछली का काम नहीं हो सकता। ये उसके

भी खिलाफ है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये 74(4) की जो जमीन है। इस पर अवैध रूप से कुछ लोग आकर बैठकर वहाँ पर प्लाट काट कर बेचना शुरू कर दिये हैं। चालीस पचास हजार रुपये गज के हिसाब से वहाँ पर जमीन बेची जा रही है, प्लाट काटा जा रहा है। और ये तीन वर्षों से चल रहा है और तीनो बातों न केवल मैं सदन में कई बार उठा चुका हूँ। मैं डीएम के पास और दिल्ली सरकार के सभी अफसरों के पास डीडीए के पास जा चुका हूँ। डीडीए लिखकर भेजता है कि हम कार्रवाई करवा रहे हैं और हमने डीएम को लिख दिया है। डीएम बोलता है कि हम कार्रवाई करवा रहे है। मगर क्योंकि ये कार्य क्षेत्र सीधे–सीधे एसडीएम के जिम्मेदारी में आता है तो एसडीएम की अध्यक्ष जी, किस तरह की जिम्मेदारी है; मैं जब एसडीएम से बात करता हूँ तो एमडीएम का मुझे ये जवाब होता है कि मैं द्वारका नहीं आ सकता। मैने कहा आप द्वारका के एसडीएम हैं, ऐसा क्या कारण है कि आप द्वारका नहीं आ सकते? बोले, ये सारे काम के लिए आप एमसीडी को बोलो। मैने कहा, 'ये सारा काम जो 74(4) की डीडीए की जमीन पर हो रहा है, इसमें एमसीडी का सीधा कोई लेना देना नहीं है। ये एमसीडी और आपके कार्यक्षेत्र के अंदर आता है, इसको आप आकर वहाँ से हटवाइये। पुलिस का सहयोग लीजिए, डीडीए का सहयोग लीजिए।' उसके बाद भी ये एसडीएम कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुझे जानकारी मिली अवैध रूप से चाहे वो मीट मछली का कारोबार हो, चाहे वो रेता बजरी का कारोबार हो, चाहे प्लाट काटने का कारोबार हो। एसडीएम की इन सब में सांठगांठ है, पार्टनरशिप है।

मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, निवेदन करता हूँ कि एसडीएम को बुलाया जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई बेइमानी की, उसके ऊपर की जाए और डीएम को डीसी को निर्देश दिया जाएं कि अपनी मौजूदगी में वो ये

रेता बजरी का जो कारोबार है, जो मीट मछली का कारोबार है और जो ये प्लाट काटे जा रहे हैं, इसको वहाँ पर बंद करवाएं और क्षेत्र की जनता को इससे बहुत बड़ी राहत दिलवाएं, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई 280 मैने नोट कर लिया मुझे क्या करना है मैं इस पर एक्शन लूँगा। कामांडो सुरेन्द्र जी। देखिए, मैने क्रमशः जो... एक सेकेंड जो 12 लाटरी में लिए हैं, अगर समय बचेगा, जिनके नाम लॉटरी में नहीं आए हैं, मैने लिस्ट मंगवा ली है। इसमें क्रमशः से जितना भी समय होगा, मैं उनको दूँगा। अजय दत्त जी, आप लेट आए तो इसका मेरे पास कोई इलाज नही है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र के इलाके में छः गाँव तथा दो बाजार शास्त्री बाजार जिसको गोपीनाथ बाजार भी कहते हैं और सदर बाजार जो कि अंग्रेजों के समय में बसाए गए थे, सेना को सामान उपलब्ध कराने के लिए तथा सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सिविल एरिया है। परन्तु यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि कैंट बोर्ड यहाँ की दुकान मकान इनकी लीज म्यूटेशन एक दूसरे के नाम अगर करना है तो नहीं की जाती है और अगर करवाना है तो नेताओं को मोटी घूस देना पड़ता है और इन्होंने कमांड हैडक्वार्टर चंडी मंदिर तक धक्के खाने पड़ते हैं लोगों को और धक्के खाने के बाद भी उनके काम नहीं होते। इसलिए इनके लीज म्यूटेशन के लिए सदन के माध्यम से...

माननीय अध्यक्षः कमांडर जी, आपका लम्बा मैटर है मैं चाहूँगा कि जितना लिखा है, उसको पढ़ दीजिए। ऊपर से कोई और कमैंट न करें।

श्री सुरेन्द्र सिंहः ठीक है सर। जबकि कैंट बोर्ड का गठन 1914 में किया गया यहाँ की सिविल जनता के कल्याण कार्यों के लिए। परन्तु आज यह इनके लिए यह कैंट बोर्ड अभिशाप बन गया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ यहाँ पर छः गाँव है जिन गावों को आज तक सिविल घोषित नहीं किया गया है मैं आपको बताना चाहूँगा कि नारायणा गाँव, झरेरा गाँव प्रहलादपुर गाँव, पुरानी नांगल ईस्ट व वेस्ट मेहरम नगर गाँव यहाँ के क्षेत्र में बसे हैं। नारायणा गाँव का जो इतिहास है राजा नारायण पाल तंवर ने अरावली पर्वत की श्रृंखला पर बसाया गया, जहाँ पर सेना ने तो एक टावर 1965 के युद्ध के समय लगाया था। वही एयर पोर्ट के सामने बसे मेहरम नगर गाँव का इतिहास 17 वीं सदी का है। 1638 ई. में जब राजा शाहजहाँ नवाब ने आगरा से पुरानी दिल्ली में शाहजहाँबाद के नाम से बसाया उसके बाद 1639 ई. में मुगल हरम जहाँ शाहजहाँ नवाब की रानियाँ रहती थी जिसका सेनापति मेहराम खान था। यहाँ मेहराम नगर गाँव, मेहराम नगर बाजार, मेहराम सराय बनाई गयी जोकि 1788 ई. हिन्दुस्तान के इतिहास में भी लिखा हुआ है। मुगल साम्राज्य के बाद दिल्ली में मराठा साम्राज्य रहा 1757 ई. से 1803 ई. तक। इसके बाद अंग्रेजों का शासन 1803 ई. से 1947 तक यहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया 1947 के बाद देश आजाद हो गया इन गाँवों को आर्मी के नाम पर गुलाम बना दिया गया, ये गाँव हिन्दुस्तान के इतिहास में मुगल साम्राज्य के समय से बसे हुए हैं। गाँव को आज तक सिविल एरिया घोषित नहीं किया गया आज 1947 के बाद इनके परिवार जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो बढ़ गए हैं। वो परिवार का सदस्य है या किसी भी प्रकार का एक कमरा बनाना है या कोई बाथरूम बनाना है तो इन परिवारों का यहाँ के लोकल नेता शोषण करते हैं। मोटी घूस न देने पर इनको नोटिस भिजवा दिया जाता है, मकान सील करवा दिए जाते हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से आपसे तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि इन सभी गाँवों को सिविल एरिया घोषित कराने के लिए भारत सरकार से विचार विमर्श करें। रक्षा मंत्रालय के नाम पर यहाँ की जनता का शोषण किया जाता है, सभी गाँवों में दो बाजार भी साथ में घोषित किए जाएं जहाँ सभी की प्रापर्टी पर मालिकाना हक दिया जाये। यहाँ पर सरकार के सभी कानून कायदों को ताक पर रखते हुए कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं की गुंडागर्दी व मोटी वसूली यहाँ पर की जाती है। इनके इशारे पर अगर नहीं दें तो इनके मकानों को सील करा दिया जाता है। नारायणा गाँव, नेताओं की गुंडागर्दी से आधा सील करा दिया गया है वो भी बिना किसी कानून कायदे के क्योंकि इस इलाके में कोई भी विकास का कार्य जनता के लिए किया जाता है तो यहाँ की सिक्योरिटी के नाम पर उसको बंद करा दिया जाता है। जनता को सभी मूलभूत सुविधाओं पर रक्षा मंत्रालय का कब्जा बना रखा है चाहे बिजली, पानी, गली, नाली, शौचालय तक नहीं बख्शो। सीवी नारायणा गाँव की साइड में दो गलियाँ, ये बड़ा सोचने का विषय है अध्यक्ष जी, नारायणा गाँव को सरकार जो है, दो चश्मे से देखती है जो नारायणा सीबी का क्षेत्र है, उसमें दो गलियाँ हैं, वो सिविल गलियाँ हैं। उनकी देखरेख एमसीडी करती है परन्तु जो बाकी की गलियाँ है, उनके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने कब्जा कर रखा है। तो सरकार इस तरह से एक ही गाँव को दो चश्मे से कैसे देख सकती है?

अध्यक्ष महोदय, आप इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए इस इलाके को सिविल घोषित कराने के लिए भारत सरकार को रेजॅल्यूशन पास करें, भिजवाएं, जो भी हो सके, आपकी अति कृपा होगी। दिल्ली कैंट की जनता आपकी सदा ऋणी रहेगी, धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। मैं अभी मेरे पास विशेष रवि जी, मनोज कुमार जी, अलका लाम्बा जी, कलमबद्ध तीन हैं लेकिन विशेष रवि वाला मामला, विशेष रवि चले गये विशेष रवि वाला मामला बहुत नहीं बाजपेयी जी, विशेष रवि का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। वो एमएलए की सेलरी का है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब विशेष रवि अभी तक बैठे थे, नहीं हैं, नहीं छोड़ दीजिए। 280 में भी इन्होंने यही दिया हुआ है। भई बाजपेयी जी, मैंने पढ़ लिया है। न, देखिए, मैं कितने लूँ? आइए आइए, बताइए, बताइए न। नहीं, अब हो गया अंतिम मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जिनका 280 में नंबर आता है वो कृपया समय से आएं। ये बड़ी दिक्कत होती है कि वो आते नहीं हैं, नाम बोलता हूँ, एक सेकेण्ड अजय दत्त जी, रुक जाइए प्लीज। नाम बोलता हूँ और वो सदन में उपस्थित नहीं हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। सदन को भी अजीब लगता है मुझे भी अजीब लगता है कि मेंबर लापरवाह नहीं हों, इसलिए आगे भविष्य में ध्यान रखें। अजय दत्त जी, अंतिम बस। नहीं अब नहीं। देख लिया मैंने विषय। तीन बज जाएंगे। वो एक विषय विजेन्द्र गर्ग जी का था।

श्री अजय दत्तः दे दीजिए, 30 सेकण्ड मेरे में से दे दीजिए।

माननीय अध्यक्षः यूँ तो फिर आप बैठ जाइए।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, आपका और अजय दत्त जी का धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ 30 सेकण्ड में खत्म करूँगी। अध्यक्ष जी, मैंने 280 नियम में सबसे पहले चंद्रावल झील का मुद्दा है, अभी भी आप जाएंगे चंद्रावल झील जो है, सिविल लाईन वार्ड में लोगों की पूरे घरों के बाहर पानी का तलाब बना हुआ है और सारा का सारा सीवर का पानी है। अध्यक्ष जी, मैं वहाँ डूसिब स्लम विभाग के अधिकारियों को लेकर गयी, मैं वहाँ जल

बोर्ड के अधिकारियों को लेकर गयी, मैं वहाँ नगर निगम के अधिकारियों को लेकर गयी, सबने ये कहा, 'ये काम मेरा नहीं, इसका है, इसका नहीं, उसका है और दुःख की बात है कि वो काम एमसीडी का है। वो जानते हैं कि वो बरसाती नालियाँ हैं, जलबोर्ड कहता है, वहाँ सीवरेज है नहीं, स्लम कहता है वो डूसिब का स्लम के अंदर नहीं आता। वहाँ के लोग आज भी चंद्रावल झील के लोग गंदे पानी, नाले के गंदे पानी में ईंटें रख कर किसी तरह अपने घर से सड़क तक आना जाना कर रहे हैं। दूसरा, अध्यक्ष जी, हमारा साईकिल मार्किट की भी सेम प्रॉब्लम है। पानी जो है, वो जमा हुआ है, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि साईकिल मार्किट में जो पानी जमा है, वो पीडब्ल्यूडी का नाला है, वो साफ करेंगे या जल बोर्ड।

तीसरा और अंतिम सर, जामा मस्जिद की बात मैंने लिखी है कि कूड़े और गंदगी के ढेर हैं, चौरस जालियाँ लोगों को समझा समझा के थक गए कि गोल ढक्कन जल बोर्ड का है विधायकों का है, चौरस जाली जो है, वो नगर निगम की है। सारी जालियाँ जामा मस्जिद संकीर्ण गलियाँ है। सारी जालियाँ टूटी हुई हैं, सारी बरसाती नालियाँ खत्म हो चुकी हैं, गंदा पानी कूड़े के ढ़ेर जामा मस्जिद वार्ड में लगे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है नगर निगम एमसीडी को कहिए, इन तीनों की जिम्मेदारी ले अगर जिस किसी और की हैं तो ये सदन द्वारा तय किया जाए ताकि लोगों को समस्या से मैं बाहर ला पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र गर्ग जी ने जो विषय उठाया था, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय था। ये सभी विधायक उससे पीड़ित हैं। ईवन मेरे क्षेत्र में भी ये पोजिशन है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं केवल 3 विधायकों को पाँच मिनट में दो–दो लाइन बोलने के लिए इजाजत दे रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आपको बोल रहा हूँ ओम प्रकाश जी। नहीं, अब खत्म हो गया, मेरी बारी उनको दे दें? नहीं प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा। आप ऑब्लाइज भी करें फिर कहें पतनाला गिरेगा तो वहीं गिरेगा। अब बैठिए अजय दत्त जी, बैठिए। प्लीज। नहीं प्रवीण जी, मैंने देख लिया है आपका। तीन विधायकों को बोलने का मौका दूँगा। नहीं, अजय दत्त जी, आप बैठ जाइए प्लीज।

श्री ओम प्रकाशः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, अभी यहाँ जो ज्यादातर जो हमारे साथी सदस्य महानुभाव हैं, उन्होंने अपनी जो व्यथा व्यक्त की है, मैं उसके साथ सहमति जताता हूँ और मुझे केवल एक लाइन में ये कहना है, जो एल. ए. फंड है, एल. ए. रोड के लिए और एमएलए लैड फंड हम लोगों को केवल ही मोनोपली है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और किन्हीं कारणों से वो अपने दायित्व को पूरा निभा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा इसमें केवल ये कहना है कि इनकी मोनोपली न रहे, एक एजेंसी और होनी चाहिए जो एमएलए लैड फंड और एल. ए. रोड के काम कर सके, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। प्रवीण जी। नहीं, इसी विषय पर मैं समय दे रहा हूँ। हाँ दो मिनट पहले तीन भई देखो, मेरे ध्यान में जिनके हाथ खड़े हुए हैं, बैठिए प्लीज। प्लीज सोम दत्त जी, प्लीज। दो लाईन में बोल दीजिए।

श्री प्रवीण कुमारः अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। दो चीजें ये जो विजेन्द्र गर्ग जी ने जो वाकया उठाया है, क्योंकि पिछले साल भी मेरे साथ भी सेम वाकया

हुआ था। मैंने अपने एमएलए लैड फंड से करीबन 100 बेंचें जो हैं, एमसीडी के पार्क में रखवाई थी लेकिन इन क्रूर पार्षदों ने एमसीडी की मदद से वो सारी बेंचे उन पार्कों से उखड़वा दी और उसके बाद भी... उसके बाद विधान सभा में कमेटियाँ बुला के उस पे चर्चा हुई। उसका उस तरीके से एक्शन नहीं हो पाया तो ये बहुत गंभीर विषय है कि ये जो पार्क हैं ये एमसीडी के पार्क हैं। ये सारे पार्षद समझते हैं कि इनकी निजी संपति इनके बाप की संपति है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी हमें किसी को भी बर्दाश्त नहीं है और इस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। क्योंकि जब–जब एमसीडी का फंड में अगर पार्षदों का फंड भी अगर हमारे किसी भी काम में लगता है तो हम कभी उन चीजों को रोकते नहीं हैं। एमएलएज़ कभी रोकते नहीं हैं। लेकिन जब जब हमारे काम चालू होते हैं सारे पार्षद काम रोकते हैं।

माननीय अध्यक्षः प्रवीण जी, बैठिए, दो मिनट बैठिए। मैं इसको मंडे को एक सेकण्ड, मैं समस्या का हल कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी को बोलकर। हाँ यूडी सेक्रेटरी और तीनों कमिश्नरों को आधा घंटे के लिए सदन में बुला लिया जाए मंडे को। आप सब लोग सहमत हैं? तीन बजे आफ्टर 280, तीन बजे वो सदन में यहाँ रहेंगे और भई वो यूडी सेक्रेटरी आ जायेंगी, वो देखेंगी। यूडी सेक्रेटरी आएंगी, वो देखेंगी। प्लीज। कालिंग अटेंशन प्लीज अब तीन बज गये हैं, विशेष जी, जब मैंने नाम लिया, आप चले गये। मैंने खुद नाम लिया, मैंने सिर्फ... विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज 2–3 बार बोलने की कोशिश करी लेकिन ऐसा लगा कि आज दाल नहीं गलने वाली। तो फिर खाना खाने चले गये थे, माफी चाहता हूँ मैं। सर ये विषय पहले भी असेंबली के अंदर...

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड ओमप्रकाश जी, नितिन जी को बधाई तो दे दो भगवा पटका पहन के आये हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, ये बात नहीं है। ये हंसी मजाक का विषय होता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का। ये नहीं कि पार्टी में जाना... मैंने ये इशारा नहीं किया ये तो हल्का फुल्का हंसने मजाक करने का होता है चलिए।

श्री विशेष रविः सर, ये विषय सर, सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ है। पूरी असेम्बलीज सर, आपसे भी जुड़ा हुआ है और ये पहले कई बारी सर ये विषयसर असेम्बली में आ चुका है। सर, विधायकों की जो सैलरी है, दिल्ली के जो विधायकों की सैलरी है, वो सिर्फ बारह हजार रुपये है और सर, ये जब हम किसी को बताते हैं तो वो 12 हजार रुपये सर, सैलरी है। सर, दिल्ली के विधायकों की सिर्फकृ केवल और केवल 12 हजार ट्वेल्व थाऊजैंड रुपीज ओनली।

माननीय अध्यक्षः भई देखो, अगर सब टिप्पणी करेंगे, वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। मौका मिला है, उसको उनको रखने दीजिये मुददा। चलिए, मैं बंद कर देता हूँ। नहीं चर्चा करवाते हैं। कोई तरीका है ये!

श्री जगदीप सिंहः सर, ये बात जब भी हम किसी को बताते हैं सर, पहले तो उसको विश्वास नहीं होता और वो पलट के बल्कि ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। दो साल पहले आपने अपनी सैलरी आपकी सैलरी ढ़ाई लाख रुपये हो गई है और न सिर्फ आपकी बल्कि दिल्ली के सारे विधायकों की सैलरी ढ़ाई लाख रुपये है और आप हमें झूठ बता रहे हो कि आपकी सैलरी बारह हजार रुपये है। सर, हाल ही के दो विषय हैं हाल ही के दो मामले हैं एक तो मामला मनोज भाई का है और दूसरा

मामला दिनेश मोहनिया जी का है। कोर्ट में हेयरिंग के दौरान जब उन्होंनें किसी अपने केस के मैटर में जब बताया जज को कि उनकी सैलरी सिर्फ बारह हजार रुपये है तो जज भी सर, जज भी सब ये मान के बैठे हुए हैं कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी ढ़ाई लाख रुपये है। सर, मेन्टेनेंस के खर्चे का एक मैटर था मनोज जी का तो वहाँ सामने से मेन्टेनेंस लेने की बात हुई जब बताया मनोज भाई ने मेरी सैलरी 12 हजार रुपये है तो जज को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि अपनी आप सैलरी स्लिप ले कर आइये। आपका पता लगे कि आपकी सैलरी कितनी है ऐसे ही दिनेश मोहनिया जी के एक मैटर के लिए इन्होंने बताया कि मेरी बारह हजार रुपये तनख्वाह है तो वो जज ने सर, वो उसको विश्वास नहीं हुआ उन्होंने कहा कि अपने एकाउंट अपने सैलरी स्लिप लेकर आइये ताकि हम जान सकें कि सैलरी क्या है। आपकी सर 2016 के अंदर सैलरी एलाउंस कमेटी के माध्यम से उस समय सर, चेयरमेन का काम सर, मेरे पास ही था तो हमने एक ऐमेनेंट कमेटी बनाई जिसमें समाज के कुछ ऐमेनेंट लोगों को चुना और उनसे ये कहा कि वो अध्ययन करें इस बात का कि दिल्ली के विधायको की जो सैलरी है, क्या वह जायज है, नाजायज है। सर, उन लोगों ने पूरा अध्ययन किया, सर्वे किया। पूरे देश में जो विधायकों को सैलरी मिल रही है, उसकी जानकारी इकटठा करी और उस पूरी जानकारी इकटठा करने के बाद उन्होंने असेंबली के बीच में ये बताया या रखा प्रस्ताव कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी सच में बहुत कम है और इसको बढ़ाना चाहिए और उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया जिसमें बताया गया कि दिल्ली की सैलरी दिल्ली के विधायकों की सैलरी लगभग दो से ढ़ाई लाख के बीच में होनी चाहिए। सर, उसके बाद से वो प्रपोजल होम डिपार्टमैंट गवर्नमैंट आफ इंडिया में घूमता रहा और इस बीच के अंदर 17 राज्यों की सैलरी बढ़ गई। न सिर्फ 17 राज्यों की बल्कि सर, देश की संसद की भी सैलरी

बढ़ गई, इस महीने से अप्रैल के महीने से सभी माननीय सांसदों को बढी हुई सैलरी का वेतन मिलना शुरू हो गया है। हाल ही के अंदर पिछले महीने ही हिमाचल प्रदेश में सैलरी बढ़ाई। सभी जगह सर विधायकों की सैलरी बढ़ रही है और हमें बड़ी खुशी है कि वो जो जायज उनकी माँग है, उसको माना जा रहा है, उनकी माँग को पूरा कराया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के विधायकों के साथ ही क्यों भेदभाव हो रहा है? इस मामले के अंदर भी भेदभाव हो रहा है कि जो जायज एक माँग की जा रही है कि जो खर्चा विधायकों का है, जो हमारे तीन तीन चार आफिस चल रहे हैं, गाड़ी है, उसका पैट्रोल है, साथ में सहयोगी हैं, क्षेत्र में आना है, जाना है। आफिस में लोग हमारे सुबह शाम तक लोग आते हैं, उनको चाय व्यवस्था है। किसी कार्यक्रम में जाना है, वहाँ खर्चा है। कहीं कन्यादान देना है, उसका खर्चा अलग है। सर, इतना सारा खर्चा मिला कर अगर हम से ये अपेक्षा की जा रही है कि हम लोग ईमानदारी से अपना काम भी करें और इस सैलरी में अपना घर भी चलाएं तो सर, ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल नाजायज बात है सर, इसमें भी सर, विशेष कर सर, जो विधायक... जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है जो पहले शादी नहीं थी जिनकी और जिनकी अभी शादी हुई है, उनके खर्चे सर, डबल इसमें अधिक हो गये है और सर, उसमें भी वो लोग जिनके घर परिवार और बढ़ गये हैं, बच्चे आ गये हैं सर, एक तो जिनकी शादी हुई हुई है, उनका दुःख भी उतना ही है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनका दुःख नहीं है लेकिन...

माननीय अध्यक्षः प्रवीण जी का अलग है, प्रवीण जी का अलग है।

श्री विशेष रविः सर, उस पर भी आ रहा हूँ मैं, जिनकी शादी हो चुकी है और बच्चे बड़े हैं, उनका दर्द तो बिल्कुल है ही लेकिन जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई है और जिनके पहले खर्चे जैसे तैसे सर, बड़ी

खुशी की बात है सर, मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है सर, जिनकी शादी हो गई है और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं सर, उनका दुःख भी बिल्कुल जायज है लेकिन जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है जिनके खर्चे बिल्कुल आधे थे और उनके खर्चे अब आधे से भी डबल हो गये हैं, सर, उनके लिए तो और बड़ी मुसीबत हो गई है। वो कैसे सर, संभालें, वाइफ का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है और सर, उस पर भी जिनके बच्चे भी हैं, परिवार बढ़ गया है जिनके बच्चे हो गये हैं सर, उनका खर्चा सर, अलग हो गया है। सर, उनमें से एक मैं हूँ। अभी दो महीने पहले सर, घर में जो है, बच्चा आया है तो अब वो खर्चे सर, अलग बड़े हैं, सर। ये जायज है सर, मैं, हम इसको जो हल्के मजाकिया लहजे में कह रहे हैं लेकिन इसमें बिल्कुल भी जो है, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी तरह गंभीर सर, ये बात है कि खर्चे सर, बहुत ज्यादा हो गये हैं सर, और जो लोग सर, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो शादी नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम शादी करें तो कैसे करें। वो हमारे अनुभवों को देखते हुए, हमारे हालातों को देखते हुए सर, उनकी शादी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। हमने तो सर, कर ली सर, रिश्ते नहीं आ रहे हैं कि वो अगर कोई बेटी देगा अपनी तो वो ये चाहेगा, वो ये कि मेरी बेटी जो है, उसको जो है, उसकी जो बेसिक चीजें हैं सर, वो तो पूरी हों कम से कम। तो सर, ये जो विषय है सर, ये ऐसा विषय है जिसके लिए मैं चाहूँगा कि जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, ये दर्द उनका भी होगा जो हमारा दर्द है। क्योंकि वो भी सदस्य हैं, उनके भी सारे वही खर्चे हैं। और क्योंकि सर, अगर उनके पास संसाधन कोई और है, साधन कोई और है, आय का तो बात अलग है लेकिन अगर वो हमारी तरह ही हैं पूरा टाइम, फुल टाइम सर विधानसभा को देते हैं और समाज को देते हैं। तो सर, उनके पास भी सर, ये दर्द जो है, हमारा उनका एक ही होगा।

तो मेरी प्रार्थना है क्योंकि ये मैटर इस समय होम में है, गवर्नमैंट आफ इंडिया के अंदर जो भी, उन्होंने इसमें ऑबजैक्शन लगाये थे। लगभग तीन महीने पहले लॉ डिपार्टमैंट की तरफ से वो फाइल चली गई है होम के अंदर और तब से न ही वो उसको मना कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है सर कि जो विपक्ष के साथी हैं, उनसे जरूर सर, इस बात पर जो चर्चा में वो दो शब्द अपने इस पर रखें और वो बतायें कि वो कब चल रहे हैं, कब चल रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी के पास इस बात के लिए जा के कि हमारी तनख्वाह बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः मैं ओमप्रकाश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्माः मैं, पूरा सदन जिस चर्चा में शामिल है, मैं उससे सहमत हूँ और मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये इस मामले को गृह मंत्री जी से बात करके इसे सुलझायें जिससे कि सदन के जो सभी सदस्य हैं और विशेष रूप से वो सदस्य जिनके शादी नहीं हो पा रही है...

... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्माः अरे! हम साथ हैं, कह तो रहे हैं आपको। ऐसा है सदन में किसी न किसी चीज पर तो सबको सहमत होना चाहिए। हम इसमें सहमत हैं और विशेष रूप से जिनकी शादी नहीं हा पा रही, उनके प्रति हम बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं कि तनख्वाह बढ़े और उनकी शादी हो और हम उनकी शादी में दावत में जाएं, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्रवीण जी, मैं बता रहा हूँ।

श्री ओमप्रकाश शर्माः जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मुख्यमंत्री जी के साथ जाएंगे। अरे यार! ऐसा थोड़ी होता है भाई!

माननीय अध्यक्षः विषय रह जाएंगे सारे बहुत गंभीर विषय है।

... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्माः अब यार! आप गड़बड़ कर रहे हो।

माननीय अध्यक्षः ये विषय आ गया सारा। विशेष जी, बैठिए प्लीज ओमप्रकाश जी, बैठिए प्लीज, दो मिनट। विशेष रवि जी का विषय हम सब के लिए बहुत गंभीर विषय है। हाँ, विशेष रवि जी, सात आठ विधायकों के साथ परसों भी मेरे चेम्बर में आये थे बाई चांस उस वक्त सिरसा जी, ओमप्रकाश जी भी बैठे थे और विशेष रवि जी की चिंता तब से बढ़ी है। ये बात ठीक है तीन साल हो गये। शादी होने के बाद इनकी चिंता ज्यादा बढ़ी है। और पिता बन गए तो चिंता और बढ़ गई, ये हकीकत है। उससे पहले कभी इन्होंने चिंता नहीं की सेलरी के विषय में।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इसमें सिरसा जी और ओम प्रकाश जी ने भी उस वक्त यही कहा कि हम सामूहिक चलते हैं होम मिनिस्टर के पास और उनसे आग्रह करते है कि ये क्यों अन्याय हो रहा है दिल्ली के साथ, ये पूरा किया जाए। एक बार मैं चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी इस पर अगर कुछ वक्तव्य दे दें, थोड़ा सा।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, विजेन्द्र गुप्ता जी की भी सहमति ले लो सर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो बोल रहे है... कुछ कहेंगे?

श्री ओम प्रकाश शर्माः मैं अपने, जो हमारे एलओपी हैं, उनकी सहमति से ही ये बयान दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप भी बोल दो विजेन्द्र जी, आप बोल दो, एक लाइन बोल दो, बोल दो एक लाइन, ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। ऐसा माहौल इसी सदन में मिल सकता है, बोल लो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा इतना कहना है कि पहले तो स्टेट्स देखा जाए जो प्रस्ताव पारित हुए थे, वो कहाँ हैं और फिर मुख्य मंत्री जी, जैसा आपने कहा, मुख्य मंत्री जी बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये विषय तो सदन के नेता अगर सदन की भावना को उपयुक्त स्थान पर रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा जरूर।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः नहीं, सदन के नेता तो उपयुक्त स्थान पर रखते रहे हैं और पिछले तीन साल से रख रहे हैं। जब भी माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई है, मैंने हमेशा रखा है लेकिन समस्या ये है कि ... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः स्टेट्स तो पता लगे, है क्या ... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः स्टेट्स वो ही बताया ना उन्होंने, एमएचए में है। होम मिनिस्टरी में है तो इसमें थोड़ी सी, देखिए पॉलिटिकल उससे अलग हट के क्योंकि हमें भी पता है कि आप कहोगे तो आपकी ज्यादा सुनेंगे। उनको लगेगा ये आम आदमी पार्टी वालों की सेलरी क्यों बढ़वाएं। आप कहोगे जी, हमारी भी बढ़नी है तो फिर थोड़ा सा और धक्का लगेगा तो चलिए चलते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः थोड़ी सी जिम्मेदारी लें इसमें।

... (व्यवधान)

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

माननीय अध्यक्षः भई सुरेन्द्र जी, माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके, कुछ तो बात समझा करें। कॉलिंग अटेंशन श्री अवतार सिंह कालका जी ***To call the attention of the hon'ble minister of Urban Development towards proposed move of South Delhi Municipal…***

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, वो कल एलजी वाली डिस्कशन चल रही थी।

माननीय अध्यक्षः हाँ, अभी आ रहे हैं, इसके बाद आ रहे हैं। इसके बाद उसी पर आ रहे हैं और साउथ देहली इनका दो मिनट का विषय

है; ***South Delhi Municipal Corporation to held over Purnima Sethi Super Speciality Hospital to the private entities.***

सरदार अवतार सिंह कालकाजी: धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे पूर्णिमा सेठी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के बारे में बोलने का मौका दिया। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 8,450 स्क्वैयर मीटर में हॉस्पिटल बना हुआ है और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। ये एमसीडी ने, पहले ये तय हुई थी 2005 में जो शुरू होनी थी तो 2008 में कम्पलीट होनी थी तो उसके बाद ये 2000 में स्टार्ट हुआ और 2012 में जाकर कम्पलीट हुआ और अभी अनकम्पलीट है। तो ये इसके ऊपर हमने कई बार जाकर पता किया, फिर हम जाकर एलजी साहब को भी मिले तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेकर बात भी की तो उसके बाद कुछ समय निकला, इससे पहले मैं बताऊँ कि ये 18 अक्टूबर, 2015 को इसका उद्घाटन किया गया अरूण जेटली जी के द्वारा और हमें लगा कि अब कुछ समस्याएं हल होंगी। हालाँकि उस वक्त इन्होंने एमएलए को नहीं बुलाया जो कि एमएलए को एक प्रोटोकॉल के हिसाब से बुलाना चाहिए था उद्घाटन के समय। खैर! हमें कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। हम चाहते थे कि लोगों को इसकी सुविधा मिले क्योंकि कम से 20 लाख लोग जो इसके ईद–गिर्द आते हैं।

हमारे वहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जो अभी पता लगा कि ये इसको प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं तो बड़ा दुःख लगा कि बीजेपी की सरकार है जो, वो क्या कार्य कर रही है। आज जगह–जगह दुःखद बातें हो रही हैं। कभी सीलिंग हो रही है, कभी रोड पर आ रहे हैं लोग और कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी हो रही है। तो ये सुनकर एक झटका और लगा कि वहाँ पर पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत हैं हमारे इस इलाके में। हमारी विधान सभा के ईद–गिर्द भी काफी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट जिसमें

एस्कोर्ट है, मैक्स है, अपोलो है, ये सारे हॉस्पिटल उधर आते हैं तो वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं है। जब डेंगू की मार पड़ती है तो मेरा ख्याल है कि अगर ये... हम उस वक्त भी गए कि मेडिकल में लोगों को जगह नहीं मिलती तो ईद–गिर्द हमारे यहाँ बदरपुर का इलाका पड़ता है सारा इधर, दिल्ली का लास्ट एरिया है तो अगर ये हॉस्पिटल बनकर तैयार होता तो जो लोगों को असुविधा होती है, जब डेंगू की बीमारी आती है तो नजदीक के हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि बड़े हॉस्पिटल में कोई रश ना पड़े वहाँ पर, नजदीक ही में उसका इलाज हो जाए क्योंकि ऐसे में लोगों का जो जीएसटी से या सीलिंग से जो बुरा हाल हो रहा है, आने वाले समय में लोगों का बजट हिल चुका है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो कैसे अपना इलाज करा पाएंगे, ये बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज की।

उसके बाद हम जब एलजी साहब को मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा भी हमारे सामने उनको, कमिश्नर साहब को कि इसको बहुत जल्दी शुरू किया जाए, वो कह रहे हैं जी, सफदरजंग को दे रहे हैं हम ये हॉस्पिटल और बहुत जल्दी ही ये शुरू हो जाएगा पर उसके बाद हम जाकर पुनीत गोयल जी को भी मिले तो उनके हमारे पास मिनटस भी हैं। उनको मिलकर हम कहकर आए कि इसको आप जल्दी शुरू करवाएं ताकि लोगों का भला हो सके। बड़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, गरीबी दावा ज्यादा है और उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया और उन्होंने मिनटस में लिखा भी है कि ये हॉस्पिटल अगर सफदरजंग चलाएगा, ठीक है, नहीं तो एनडीएमसी इसको चलाएगी। इसमें लिखा हुआ है, उनके मिनट्स ये मेरे पास है तो उसके बावजूद फिर हमने, उसके बाद जे.पी.नड्डा जी को, जो हमारी सरकार के जो मंत्री हैं, उनके पास भी हमने लैटर लिखा कि इस हॉस्पिटल को चलाया जाए ताकि लोगों का भला हो। क्योंकि यहाँ पर

पहले डिस्पेंसरी होती थी और यहाँ पर जच्चा–बच्चा सब कुछ यहीं पर होता था। लोगों की वहाँ से भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं कि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है तो बहुत सारे लोग हमारे पास आए कि इसको आप प्राइवेट हाथों में न जाने दें और उस दिन हमने अखबार में पढ़ा तो बहुत हमारे को इस बात का झटका लगा कि बीजेपी की सरकार कैसी नीति अपना रही है कि एक प्राइवेट हाथों में देने जा रही है और मैं इसका और बताना चाहूँगा अध्यक्ष जी, ये 2005 में जब ये शुरू होना था उसका बजट था 31 करोड़ तो उसके बाद जब ये 2006 में स्टार्ट हुआ तो इसका बजट बन गया 52 करोड़, उसके बाद 54 करोड़ का इसका बजट बन गया तो समझ नहीं आता ये कहाँ पर सरकार खड़ी है!

आज बुरा हाल है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 बेड लगे हुए हैं। ओपीडी होती है और कुछ नहीं है वहाँ पर जब कि बीमारी अपना कुरूप लेकर आती है तो बड़ी दिक्कत खड़ी होती है तो मैं चाहूंगा, मैंने... सीएम साहब को भी लैटर लिखा मैंने। इससे पहले सत्येन्द्र जैन जी से मैं मिला कि हमारे इलाके में कोई हॉस्पिटल खोला जाए ताकि लोगों को जो मुश्किलें हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल बहुत जरूरी है हमारे वहाँ पर। तो उस वक्त हमारे पास जगह की कमी है तो हमने ये भी कहा कि आप ऐसा करो दिल्ली सरकार को दे दो। अगर आप नहीं चला सकते तो अब दिल्ली सरकार की बजाय वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं ताकि लोगों का जो फायदा होना था लोगों को, एक तरफ दिल्ली सरकार मुफ्त में दवाइयाँ दे रही हैं, हॉस्पिटल को बढ़िया बना रही है, जगह–जगह हॉस्पिटल खोलने की कोशिश कर रही है और खोल भी रही है तो ऐसे में प्राइवेट हाथों में जाना हॉस्पिटल, ये बड़ी एक लोगों से धोखा है और इनको, बीजेपी सरकार को चाहिए कि अपना एमसीडी–एनडीएमसी को कि इसको प्राइवेट हाथों में न देकर, हमें

कोई एतराज नहीं है अगर एमसीडी भी करे। अगर वो नहीं कर सकती, अपनी इगो को छोड़कर दिल्ली सरकार को दे दे, दिल्ली सरकार इसको करने के लिए पूरी तत्पर है और आने वाले समय में मेरा ख्याल है ये दिक्कत खड़ी होगी। अगर ये प्राइवेट हाथों में जाता है। इसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे, अगर ये प्राइवेट हाथों में जाएगा तो मेरी अपील है कि ये इसकी निंदा भी की जाए जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है प्राइवेट हाथों में जाने का और इस हॉस्पिटल को या तो दिल्ली सरकार ले या उसको एनडीएमसी चलाए इसको, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः कल जो डिस्कसन रोका गया था, इस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये जो बोल...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किस पर?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये हॉस्पिटल पर। मैंने स्लिप भी भिजवाई।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इसके लिए स्लिप भिजवाई। इस पर तो मैं चर्चा तो नहीं मैंने कुछ एलाउ किया था।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, जो उन्होंने सदन में जो तथ्य रखे हैं, वो ठीक नहीं हैं। मैं उसमें...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं तो दूसरे संदर्भ में कुछ कहना चाह रहा था जो पहले इस पर चर्चा हो रही थी...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 54 है तो मंत्री जी रिप्लाई जरूर करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट बैठिए आप। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं तो दूसरे संदर्भ में जो इससे पहले चर्चा हो रही थी एमएलए की सेलरी के संदर्भ में, उसके बारे में कहना चाहता था, आपकी अनुमति से और सदन की अनुमति से एक प्रस्ताव रखना चाहता था अगर अनुमति हो तो, ये एक सदन की तरफ से कमिटी हम बना दें, जिसमें माननीय मंत्री जी सत्येन्द्र जी, यूडी मिनिस्टर हैं, वो उसको लीड कर लें और साथ में तीन साथी विपक्ष के हो जाएं, तीन साथी इधर से जो तीनों बैठे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक मिनट सुनिए। प्रस्ताव सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः मेरा निवेदन है आपसे।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः प्रस्ताव सुन लीजिए, उसके बाद...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक बार सुन तो लीजिए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः तो छः साथी हो जाएं, तीनों आप हो जाएं क्योंकि आप जाएंगे तो ज्यादा एक...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, हमारे में से दो लोग रहेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः आपको, इसीलिए तो कह रहे थे।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कमिटी में आप हमारी तरफ से...

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः तो प्रस्ताव था मेरा। इधर से फिर सौरभ, संजीव और प्रवीण अगर उसमें हो जाएं तो इस तरह से सात सदस्यों की एक समिति हो जाएगी। एमएलए साहब, इसके मिनिस्टर साहब के उसमें होम मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं और आगे भी जो जिन ऑफीसर्स से भी वहाँ पर फॉलोअप करने की जरूरत पड़ेगी...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सिरसा जी को डाल लो।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः आपको जाना चाहिए वैसे।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः मेरा एक निवेदन है सर, हम लोग अपने तौर पर बात भी कर रहे हैं और हमें इससे कोई गुरेज नहीं है लेकिन मेरा एक निवेदन है सीएम साहब या कम से कम आप इसको लीड करें तो इसका एक ज्यादा वजन रहेगा। बाकी आपकी मर्जी।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः देखिए, वज़न मैं तो... हम बहुत बार मैं व्यक्तिगत रूप से भी और ऑफिशियली भी जा–जा के मिल चुके हैं।

माननीय अध्यक्षः मैं और आप भी गये थे।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः हाँ जी।

माननीय अध्यक्षः मैं और आप भी गये थे।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः हाँ हम और स्पीकर साहब भी गये थे।

श्री ओम प्रकाशः नहीं स्पीकर साहब जाना चाहें, स्पीकर साहब चले जायें। आप जाना चाहें, सीएम साहब या आप।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं इसको फॉरमली इसलिए कह रहा था कि फॉर्मली हाउस के रिज़ोल्यूशन एक फॉर्मल डिसिजन के रूप में एक कमेटी जाके मिलेगी।

श्री ओम प्रकाशः आपके जाने से कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम अगर है तो बात अलग है वरना मेरा सजेशन है आपको, आप बाकी जैसे ठीक समझें।

माननीय अध्यक्षः माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्ताव है जिसमें श्री सत्येन्द्र जैन जी माननीय मंत्री जी और विपक्ष से कौन–कौन... नहीं सिरसा

जी ने कहा था, मैं चलूंगा। ओम प्रकाश जी, नहीं, चलिए। और इधर से इधर। नहीं विजेन्द्र जी आप साथ चलेंगे ना। कमेटी में नाम नहीं डाल रहे। सतेन्द्र जैंन से इधर से किस–किस का नाम बोलें। सौरभ जी, प्रवीण जी और तीसरा संजीव जी। माननीय मंत्री जी की ओर से।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः मेरे से क्यों वो कर रहे हैं? आपको इसको ये कोई इगो की बात थोड़े ही है। मैं व्यक्तिगत रूप से इतनी बार मिल के बात कर चुका हूँ इसलिए मुझे लगता है कि कमेटी में मेम्बर्स और होंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं, उनका कहना ठीक है। वो कई बार जा चुके हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्माः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई इगो प्रॉब्लम नहीं है। किसी तरह की कोई बात नहीं है। पूरा सदन इससे एक मत है। हम लोग भी अपने स्तर पे कई बार बात कर चुके हैं और वो लोग इसके लिए तैयार हैं। मैं यह कह रहा हूँ, मेरा एक निवेदन है कि सीएम साहब अगर सीएम साहब नहीं जाना चाहते। कम से डिप्टी सीएम साहब जायें, हम जाएंगे और एक बार में ये काम करा लेंगे। आप इसको लम्बा करना चाहते हैं तो भई आपकी मर्जी है... नहीं, आप इसमें इगो की क्या बात है?

माननीय उप मुख्यमंत्रीः नहीं मुझे इगो नहीं है। मेरी तो सिर्फ ... (व्यवधान) की बात थी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः हम आपकी गाड़ी में बैठके चले जाएंगे, आप हमारी गाड़ी में चले जाना।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः चलो–चलो, मैं चलूँगा बस।

श्री ओम प्रकाशः हाँ, चलिए ना आप।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः सत्येन्द्र जी की जगह आप मेरा नाम डाल दीजिए इसमें, अध्यक्ष महोदय। गुप्ता जी साथ चलेंगे लेकिन।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, ये क्या बात हुई सर!

माननीय अध्यक्षः नहीं विजेन्द्र जी, अब आप चलेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ... (व्यवधान) ... साहब जाएंगे तो मैं चलूँगा।

माननीय अध्यक्षः अच्छा, ये कोई बात नहीं हुई। ये कोई बात हुई? नहीं, विजेन्द्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है। अब ओम प्रकाश जी के आग्रह पर उन्होंने मान लिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, हम तो मेम्बर दे रहे हैं या तो हम कह रहे हों कि हम नहीं...

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमने जब विरोध किया था तो किया था। आज तो नहीं विरोध कर रहे ना हम।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः पर आप चलेंगे तो सही आपने कहा, समय ले लेंगे, समय ले लेंगे।

माननीय अध्यक्षः वो कर लेंगे। ये कमेटी का माननीय उप मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में श्री सौरभ जी, प्रवीण जी, संजीव जी इधर से सिरसा जी। भई अजय दत्त जी, आपकी बीच में बोलने की आदत नहीं जा रही। प्लीज।

थोड़ा सा कंट्रोल कर लो इसको। ये महत्वपूर्ण विषय है। सौरभ जी, प्रवीण जी, संजीव जी, श्री सिरसा जी और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ये कमेटी सात सदस्यों की बन रही है जिसका नेतृत्व...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं तो लोग कहेंगे कमेटी, जो बाकी कमेटी है, उसमें एक भी मेम्बर नहीं है प्रिविलेज में एक भी नहीं है। किसी आपकी जितनी स्पेशल कमेटिज बनाते हो, उसमें एक मेम्बर नहीं है। उसमें से एक ले लीजिए आप।

माननीय अध्यक्षः तो मैंने दो ही तो नाम बोला हैं। नाम तो दो ही बोले हैं मैंने।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कहीं नहीं हैं। तो दो मेम्बर आप हमारे लो और तीन अपने लो, अच्छा लगेगा।

माननीय अध्यक्षः अभी आप सुन नहीं रहे हैं, दिक्कत ये हो रही है। मैं इधर से दो ही नाम बोल रहा हूँ। सिरसा जी का और ओम प्रकाश जी का। सौरभ जी, प्रवीण जी, संजीव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी इसकी लीडरशिप करेंगे। ये समिति मेम्बर्स की सैलरी, एलांउसेज जो पिछले दो साल से अटका हुआ है, उस समिति के लिए गृह मंत्री जी से संपर्क करेगी,

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। हाँ तो बोल दो ओम प्रकाश जी।

जो इसके विरोध में हैं वो न कहें;

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

ये प्रस्ताव पारित हुआ।

आज विशेष रवि जी की विशेष चर्चा पे कुछ न कुछ लगता है, ठीक हो जायेगा। चलिए, अब कल जो चर्चा बाकी रह गई थी, उस चर्चा पर आगे हम आरंभ करते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं तो वो कॉलिंग अटैंशन हैं 54 में। उसमें मंत्री जी को रिप्लाइ देना चाहिए क्योंकि तथ्य उन्होंने ठीक नहीं रखे। ये जो कालोनी हॉस्पिटल है, इसको... इसका नाम।

माननीय अध्यक्षः तो उन्होंने कालोनी हॉस्पिटल ही कहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उन्होंने मल्टी स्पेशलटी कहा है। लेकिन ये एक कालोनी हॉस्पिटल है और 1996 में इसको एमसीडी से दिल्ली सरकार ने टैक ओवर कर लिया था। सन् 2000 में दिल्ली सरकार ने इसको एमसीडी को वापिस दे दिया। ऐसे छः हॉस्पिटल हैं; कालोनी हॉस्पिटल, जैसे बालक राम हॉस्पिटल है, कालका जी का हास्पिटल है, ऐसे छः हॉस्पिटल हैं और साथ में ये कहा था कि इसको अपग्रेड किया जाये और 100 परसेंट बैडेड बनाया जाये। उसको 100 बैडेड बनाने के लिए इसमें रि–कंस्ट्रक्शन हुई, दोबारा बना, बनकर के तैयार हो गया, इसका इनऐगुरेशन हो गया। इसमें पहली बात तो मैंने भी जब ये प्रस्ताव लगा तो पूरे मामले की जानकारी ली और आयुक्त से बात की। और इस पूरे मामले का संदर्भ लिया तो मालूम चला कि ऑन रिकार्ड इसका कोई प्राइवेटाइजेशन का किसी को प्राइवेट देने का कोई न तो प्रोपोज़ल है, न तो कोई विचार है और न इस बारे में कोई बात हुई है कहीं भी। सफदरजंग हॉस्पिटल से बातचीत हुई थी जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल इसको चलाने के लिए इंटरेस्टेड था लेकिन बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल ने भी उसके बाद इन हॉस्पिटलस इन पर्टीकुलरली आप वाले हॉस्पिटल के लिए क्योंकि इस पर एक रिपोर्ट दी

गई, वहा की वार्ड कमेटी में डीएचए के द्वारा कहा गया कि चूँकि हमारे पास इनएडिक्वेट फाईनेंशल सपोर्ट है दिल्ली गवर्नमैंट की। ये लीजिए ये सरकारी मैं... वो पढ़ के बता रहा हूँ:

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी इसमें एक तथ्य आपने रख दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ***"Inadequate financial support from Govt. of Delhi, do not establish the hospital as it put incurred annual expenditure of rupees approximately seventy crores for the first year and forty crores for the subsequent years.'***

मैं बार–बार यही कहता हूँ इसलिए कि जो वित्तीय संसाधनों को लेकर के नगर–निगमों की स्थिति बनी हुई है, उस पर फिर से गौर किया जाये, सदन की नेता मुख्य मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। पाँचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाये, उसको लागू किया जाये उसके अनुसार निगमों को फंडस दिये जायें, आपने चौथा लागू किया। पाँचवाँ अब आप टेबल नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, आप हर चीज को पॉलिटिकल में ले जाते हैं, बैठिए। चलिए बैठिए। धन्यवाद।

माननीय उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा

Discussion on outcome report of office of the hon'ble Lt. Governor.

जो कल रह गया था, पर आगे चर्चा में श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आज इस चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया।

मैं दुश्यंत कुमार जी की कविता से शुरू करूँगा,

''हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
अब कोई इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।''

आज इस विधानसभा रूपी हिमालय से कोई रास्ता निकालने के लिए आज ये चर्चा हो रही है। आज उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के बाद बहुत कुछ दिल्ली में सुधरेगा। बार–बार इस विधानसभा में जब भी आते हैं, एलजी साहब ये बोलते हैं कि हमारी सरकार है बड़ा सुकून मिलता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए। नहीं विजेन्द्र जी अभी, मैं आ रहा हूँ, इस पत्रकृ आपने अच्छा हुआ छेड़ दिया, आपने छेड़ दिया पत्र, मैं आ रहा हूँ।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः बड़ा सुकून मिलता है।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, एक मिनट बैठिए। उनको बोल लेने दीजिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आज देश में पहली सरकार है जो ये कहती है कि मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ। पहली सरकार है जो कहती है कि हम तेजी से हॉस्पिटल में और सुधार करना चाहते हैं, मोहल्ला क्लीनिक बनाना चाहते हैं, सारे टेस्ट फ्री करना चाहते हैं, सारे ऑपरेशन फ्री करना चाहते हैं। देश की पहली सरकार है जो कहती है कि श्रम सुधार करेंगे, मजदूरों का मिनिमम वेज बढ़ाएंगे। देश की पहली सरकार है जो कहती है कि मिड डे मील बहुत क्वालिटेटिव होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से उसको लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। उसमें हम काम करना चाहते हैं। देश की पहली

सरकार है जो कहती है कि बिजली हम आधे में देना चाहते हैं। जो कहती है, हम पानी बीस हजार लीटर तक मुफ्त देना चाहते हैं। ऐसे तमाम सुधार करना चाहते हैं, हमें कुछ अवसर चाहिए। कमाल है देश की अन्य सरकारों में है कि जब तक लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते तब तक हालत है, काम नहीं करते और हमारे यहाँ है कि जब तक हमारी सरकार एलजी साहब से खिलाफ प्रदर्शन नहीं करती तब तक हमें मोहल्ला क्लीनिक नहीं मिलता। ये हालत है तो काहे का कहते हैं, 'हमारी सरकार,' कहना शुरू कर दो कि 'भारतीय जनता पार्टी की सरकार' कहना शुरू कर दो कि 'जनता की दुश्मन सरकार। ये कहना बंद कर दो आप। जिस तरीके से रिपोर्ट आया कि एजूकेशन लोन जिसमें सरकार चाहती थी कि बच्चों को जो बेचारे आर्थिक स्थिति के कारण उनके सपने घुट जाते हैं, वो न घुटें, वो सपने साकार हों, हर सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये दिल्ली उसका मिसाल बनेगी और पूरे देश में जाएगा, उस फाइल को आप जो है, तकरीबन एक साल से रोकने की कोशिश कर लेते हैं और ऐज इट इज लगभग 10–11 महीने बाद ऐज इट इज उसमें कुछ फुल स्टॉप और कौमा नहीं जोड़ते, उसके बाद वो इतने लेट–लतीफी के बाद पास होता है। मोहल्ला क्लीनिक बनाना चाहते हैं, अमेरिका में डंका बजता है और ये कहते हैं कि जी, मोहल्ला क्लीनिक नहीं बन सकता हमारे रोडों पे। पीडब्ल्यूडी के रोडों पर, आप लोग खोखा अलॉट करने का काम करते हो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई मैं इनका नाम ले चुका हूँ, इनको बोल लेने दो, इसके बाद आप बोल लेना।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः नहीं सुना जाएगा आपसे गुप्ता जी, मुझे पता है। हमारे पीडब्ल्यूडी के रोडो पे आप खोखा अलॉट करते हो, इन्क्रोचमैंट

करते हो, लोगों को चलने–फिरने में दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लीनिक देने की बात आती है, आप कहते हो पटटरियों पर आप जो है, पीडब्ल्यूडी की पटटरियों पर आप मोहल्ला क्लीनिक नहीं बना सकते, जहाँ पैसे खाके वहाँ पे खोखे अलॉट करने हैं, वहाँ पे खोखे बन जाएंगे, खोखा लेके खोखा एलॉट कर दो, सही कह रहे हैं। चूँकि इसमें खोखा नहीं मिल रहा है, मोहल्ला क्लीनिक में तो वो नहीं बन सकता, नहीं मिल रहा है, ये हालत है। मैं कहता हूँ कि राजनीति करनी है तो अब ये टाँग खींचने वाली राजनीति बंद कर दो, आओ दिल्ली सरकार से तुलना करो, अरविंद केजरीवाल की सरकार से तुलना करो और कह दो मोदी जी से जाकर के कि अगर तुलना करना है तो विकास की तुलना करो, तुम भी काम करो, हम भी काम करते हैं जो ज्यादा काम करेगा, उसको जनता चुन लेगी। ये टाँग खींचने वाली राजनीति बंद कर दो। अगर हिम्मत है तो आइए मैदान में, सात सांसद! दिल्ली के लिए कितने मुद्दे उठाएं हैं, आकर के उसका भी आउटकम लेके आते हैं टाइम बाउंड, उसका भी समीक्षा कर लेते हैं, आओ उसकी भी समीक्षा कर लेते हैं। ले आओ अपने निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड, उनसे भी समीक्षा कर लेते हैं। ले आओ अपने नगर निगम का जो भी आपने बजट प्रस्तुत किया है, उसको भी आउट कम करके लेके आओ। ले आओ मेयर का आउट कम, दिखाओ टाइम बाउंड क्या करके दिखा रहे हैं। ले आओ अपने और राज्य सरकारों का, आउट कम ले आओ, दिखाओ पूरे देश को। क्या कर लोगे? अरे! हमारे यहाँ तो चपरासी नहीं बनाने देते वहाँ पर पाँच–पाँच बाबाओं को... यहाँ पर तो एक चपरासी...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इनको बोलने दो, फिर आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः सीएम साहब कुछ फेलोशिप, कुछ अच्छे लोगों को दिल्ली के सेवा में लगाना चाह रहे थे, वो कहते हैं कि जी, नहीं लगा सकते। पाँच–पाँच बाबाओं को मंत्री बना देते हो मध्य प्रदेश में और हम 5–6 बढ़िया, पढ़े लिखे योग्य व्यक्तियों को यहाँ लगाना चाहते हैं कि दिल्ली में कुछ भलाई हो जाएगी तो कहते हो कि नहीं लगा सकते।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, आप मुझे मुखातिब होके बात कहते रहें प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः तो मैं इस पर आपके रोक–टोक पर यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से आप रोक टोक करने की कोशिश कर रहे हो , उसको शोर के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 'कभी महक की तरह हम गुलों में उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों पर उड़ते हैं, ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैचिंयाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं होंसले से उड़ते हैं।' अगर तुम में हिम्मत है तो आओ राजनीति करो सकारात्मक, रोकने की राजनीति नहीं करो, बनाने की राजनीति करो। अगर हिम्मत है तो तुम भी देश में 10 हजार मोहल्ला क्लीनिक बनाके दिखाओ, इसकी राजनीति करते हैं, आओ, तुम्हें हिम्मत है तो बिजली की कीमत रोकने के लिए आओ पूरे देश में राजनीति करते हैं, 50 पैसे सरचॉर्ज लगा के पर यूनिट दिल्ली में भी फिक्स चॉर्ज बढ़वाने का काम मत करो, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो, ये काम मत करो, अगर हिम्मत है तो करने दो हमें भर्ती, कमाना हमको है, खर्चा करें एलजी साहब से पूछ के, खजाने में 10 रुपया कम हो जाए तो दिल्ली सरकार दोषी और दिल्ली के लोग ज्यादा टैक्स दे दें तो उसको खर्चा नहीं कर सकते। तो आज इस सदन के माध्यम से मैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि बाज आइए वरना

एक दिन आपको भी जाना है, सौरभ भाई भी कह रहे थे, इस दुनिया से, हमें भी जाना है। कोई बात नहीं, उनको पहले जाना है, आईनों के सामने खड़े होकर के जवाब दोगे ना तो जवाब नहीं दे पाओगे। और जिस तरीके से एलजी साहब ने अफसरों को बचाने की कोशिश की है जो वक्फ बोर्ड में सुनवाई हो रही थी, वहाँ पर था, सारी रिपोर्ट दे दी गई कि भाई साहब, ये फलाना, फलाना अफसर दोषी है, उसे बचाने का काम कर लिया, नालों की सफाई का मामला हुआ, पेटिशन कमेटी ने अश्विनी कुमार को दोषी ठहराया कि नाले साफ नहीं हैं, गलत रिपोर्ट दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और गुप्ता जी, सिरसा जी ट्वीट कर रहे थे, सौरभ भाई के उस पर कि रिपोर्ट नहीं दिया, मैं जानता हूँ, सुन नहीं पाओगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आपत्ति क्या है?

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मुझे पता है तुम्हारे में दम नहीं है, दिल्ली के लिए काम करके दिखाओ, आओ करना है तो राजनीति करो विकास की। हिम्मत है तो करो, रोकने का काम मत करो। चैलेंज कर रहे हैं, सुना नहीं जाएगा, मुझे पता है। सौरभ भाई कह रहे थे उनके ट्वीट पर जवाब दे रहे थे कि इन्होंने एटीआर नहीं दिया। ये तो सौरभ ने गलत ट्वीट कर दिया। अरे! एटीआर तो ऐसे देते हो जिसमें जो सरकार के फायदे की चीजें होती हैं, वो गायब हो जाती हैं ये कैसी सरकार है भई, ये कौन सा एलजी का ऑफिस है, जिसमें जो दिल्ली सरकार जो केस जीत के आती है... ओ पी दूबे जी का कोर्ट था, न्यायाधीश थे, उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें वक्फ बोर्ड की हैं और वक्फ बोर्ड अपना ले, उसमें हमारे पक्ष में फैसला आया, उसको गायब कर दिया जाता है। मेहरा जी का केस गायब कर दिया जाता है और जो–जो केसें हारी हुई होती हैं, उसको विधान सभा

में गलत तरीके से रिपोर्ट भेजने का काम करते हो और जब फंस जाते हो, अनऑथेराइज कालोनी के मुद्दे पर जब सीएम साहब ने कहा पेपर में कि चीफ सेक्रेटरी ने गलत बयान दिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी को, तो जानते हैं आपके अफसर क्या जवाब देते हैं? कहते हैं ये तो मिनिस्टर इंचार्ज की जिम्मेदारी है, अभी परसों के पेपर में था। अंशु प्रकाश कहते हैं कि ये मिनिस्टर इंचार्ज की जिम्मेदारी है। अरे... मिनिस्टर इंचार्ज उस समय कहाँ चला जाता है जब फाइलें कहीं कोई फिनलैंड में जाना है, शिक्षकों को ट्रेनिंग लेने तो माननीय उप मुख्य मंत्री जी के पास फाइलें नहीं जाती, चुराते हुए फिरते हो तुम लोग, जब कहीं और भर्ती की जरूरत होती है तब मिनिस्टर इंचार्ज कहाँ चले जाते हैं? तब तुम्हारी सारी जो है, वो मर जाती है सर में। सारा बिजनेस रूल सब खत्म हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, अप कन्क्लूड करिए प्लीज, अखिलेश जी, त्रिपाठी जी कन्क्लू करिए प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः तब कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। जब फंस जाओ तो मिनिस्टर इंचार्ज जिम्मेदार है और जब काम करने नहीं देना है तो धीरे–धीरे चुपके–चुपके अधिकारी से एलजी, एलजी से अधिकारी, एलजी से अधिकारी, फिर ऐसे ही चल रहा है, खेल चल रहा है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद, बैठिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः तुम खेल कर लो, मैं बताना चाहता हूँ एक ओर शोर कहूंगा लास्ट में इन्होंने जो एलजी साहब अफसरों को बचा रहे हैं, उस पर एक लास्ट में कहना चाहूँगा बस, कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कोई जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, कोई जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे

करके एलजी साहब बिगाड़ देते हैं, एलजी साहब बिगाड़ देते हैं।' याद रखना बिगाड़ने का काम मत करो, बनाने का काम करो अगर हिम्मत है तो तुम्हें देश याद रखेगा वरना तुम्हे भी बिगाड़ देगा पूरा देश, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः इस चर्चा को मैं। हाँ, आपने उठा दिया, मैं ले रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये 93।

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं ले रहा हूँ सब कोट कर रहा हूँ, सब चीज कोड कर रहा हूँ, एक–एक चीज, बैठिए, दो मिनट। देखिए विजेन्द्र जी आपने बात रख ली ना? हाँ मैं इसी पर दे रहा हूँ आपको उत्तर दे रहा हूँ पूरा। मैं पूरा लैटर पढ़ रहा हूँ पूरा, देखिए उतना ही समय सदन का खराब होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देखिए ये जो आउटकम रिपोर्ट है, ये अभी तक आपने उप राज्यपाल को तो भेजी ही नहीं। इस सदन के सामने प्रॉपर रिप्लाई इसका आना चाहिए। अगर इसका रिप्लाई हमारे पास नहीं है, रिपोर्ट वहाँ गई नहीं है, हाँ आप अपनी तरफ से कुछ–कुछ बोले जा रहे हो।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आपको चर्चा में... आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दूसरा।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः यही तो हम कह रहे हैं सदन में कि देखा एलजी साहब की और इनकी इतनी सैटिंग है, एलजी साहब ने इनको बता दिया है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी। आपको कैसे पता है एलजी साहब के पास नहीं गई?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अरे! ये तो सारे अखबारों में छपा है, ये तो जो आप पाँच दिन से जो कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः आपको कैसे पता एलजी साहब के पास नहीं गई?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये सारे अखबारों में प्रैस रिलीज में है, अखबार पढ़ते हैं आप?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, जरा रुक जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः क्या ये अखबार डिसाइड करेंगे कि विधान सभा में क्या डिस्कस होगा?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिल्कुल अखबार पढ़कर बताइये आप। कह दीजिए मैं गलत कह रहा हूँ। मैं बैठ जाऊँगा।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः आपकी एलजी साहब के साथ इतनी बड़ी सेटिंग है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बताइए ना, आपने कापी दी है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। जब आपने कापी दी तो रिप्लाई आना चाहिए हमारे पास कि जी, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं बैठ जाऊँगा। यहाँ सदन के सामने रिप्लाई रखिए।

दूसरा 93, 264 पढ़िए आप।

माननीय अध्यक्षः मैं अभी ले रहा हूँ, उसी को ले रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः फिर यहाँ पर रोज दो–दो दिन सदन बढ़ाकर आप पूरा सदन का समय खराब कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः उसी को ले रहा हूँ मैं बैठिए आप। आप बैठिए दो मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक तरफा बात करके यहाँ कुछ भी बोलकर चले जाओ।

माननीय अध्यक्षः बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ तो दो तरफा करिए आप।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी दो मिनट बैठिए तो सही। भई माननीय सदस्य गंभीर विषय है। विजेन्द्र जी ने एक पत्र मुझे लिखा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भैया, मैं अभी इसको... बैठिए अब आप। माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी ने एक पत्र लिखा 5/4/2018 जिस पर डेट डली है। लेकिन दुर्भाग्य से, सौभाग्य से मेरे आफिस में ये 6/4/2018 एक सेकण्ड विजेन्द्र जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए। मुझे बात करने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, नहीं, आऊँगा तब बताऊँगा आपको। नहीं कोई विषय रह जाए, तब बीच में डिस्टर्ब... आप दो मिनट बैठिए प्लीज, आप दो मिनट बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? साढ़े छः बजे मेरे मेल पर... मैं बोल रहा हूँ एक–एक चीज, पूरा सुन लीजिए। कोई चीज रह जाए, नोट कर लेना। बीच में कृपया मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। कल शाम को साढ़े छः बजे मेल पर आया, अब साढ़े छः बजे मेल पर आने

के बाद, मैं जा चुका था। लेकिन मैं हैरान था और मुझे अफसोस भी है कि आज इनका लिखा हुआ पत्र अखबारों में छपा कि हमने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है। एक सेकण्ड वो लिखा हुआ पत्र मुझे आज सुबह प्राप्त हुआ है, 12–1 बजे आने के बाद और दोपहर को वहीं 12 बजे के आसपास इनका पत्र मेरे कार्यालय में आया। पत्र में जो इन्होंने टिप्पणी की है विशेष रूप से... अब मुझे नहीं पता कि विजेन्द्र गुप्ता जी ने स्वयं लिखा है या किसी ने लिखकर दिया। विजेन्द्र गुप्ता जी, बहुत होशियार आदमी हैं उन्होंने धाराएं जो इसमें कोड की हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए था। मुझे पत्र मिला मैंने धारा जिसका 93 इन्होंने जिक्र किया है। 93 के (6) का, 93 का हेडिंग ये है; कण्डीशन एडमिसबिल्टी ऑफ रेजल्यूशनस, कोई भी प्रस्ताव संकल्प की गहराई तक... हिन्दी में बोल रहा हूँ कि शर्तें, ये संकल्प नहीं आया विजेन्द्र जी, ये समझ लीजिए। ये आउटकम रिपोर्ट है। इट इज नॉट अ रेजल्यूशन। भई विजेन्द्र जी, मैं आगे आ रहा हूँ पहले 93 को तो डिफाइन कर दूँ। तो आपने 93 कोड किया। पहले नीचे से चलूँगा, तभी फिर आप... आपने जो लैटर में कोड किया, वो पढ़ रहा हूँ मैं पहले। पहले बैठ जाइए अभी। 93 हेडिंग प्रस्ताव का है माननीय मुख्य मंत्री किसी भी एलजी के विरूद्ध कोई प्रस्ताव इस सदन में नहीं आया, उन्होंने आउटकम रिपोर्ट दी है, इसलिए आपकी ये धारा इसमें जो आपने कोड की है, ये गलत है। दूसरी धारा आपने 264(2)एच कोड किया है। किसको? हाँ मैं कह रहा हूँ डिस्कसन हो सकता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप कहते रहिए। आप विजेन्द्र जी, सदन का समय खराब कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं कह रहा हूँ, अभी मैं अपना डिसीजन पढ़कर सुना रहा हूँ पूरा। बैठ जाइए। पहले जो आपने धाराएं कोट की है, मुझे लगता है आपने वो पढ़ी नहीं। पढ़ी होती तो आप इतनी गलती नहीं करते। आपसे उम्मीद नहीं थी इतनी गलती करने की। एक बार मैं इसकी 93(6) की पढ़ दूँ। (6) जिसमें आपने लिखा है... 93 का (6) ले लीजिएगा। मैं इसलिए पढ़कर सुना रहा हूँ। उसमें भारत सरकार से भिन्न भारत के राष्ट्रपति अथवा सरकार से भिन्न उसके उपराज्यपाल के आचरण पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होगी। ये रेजल्यूशन है। यहाँ उपराज्यपाल को कोड कर लीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, विजेन्द्र जी, जो ये प्रस्ताव नहीं आएगा सदन में, नहीं, ऐसे नहीं, आप अपनी तरह से मोल्ड कर लें जैसे मर्जी आए। आप आ जाइए... नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप आ जाइए अब 264(2)एच आ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई साहब, दो मिनट बैठिए, दो मिनट बैठ जाइए। भई विजेन्द्र जी, या तो मैं रूलिंग दे लूँ अपनी। आपने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए, दो मिनट बैठिए अभी। अरे भई! आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप अपने लैटर की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं पहले। 264(2) के (एच) में आ जाइए, 264(2) के (एच) में शांतिपूर्वक आ जाइए, प्यार से, थोड़ा शांत हो लीजिए। (एच) पढ़ लीजिए। एक सेकण्ड बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक सेकण्ड रुक जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सोमनाथ जी, प्लीज। 264 (एच) राष्ट्रपति किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ उपराज्यपाल शब्द नहीं है। 94 में उपराज्यपाल शब्द है। ये किताब हमारी है। 94 की रूलिंग में इसमें उन्होंने कहाँ... बात समझ लीजिए। इसका अर्थ ये है, किसी सरकार के राज्यपाल पर। 94 में उपराज्यपाल लिखा हुआ है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दो मिनट, आपका ये लैटर... आपने उचित इसका अध्ययन नहीं किया, इसलिए आपको परेशानी महसूस हो रही है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट बैठिए, दो मिनट बैठ जाइए, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ माननीय सदन इसको ध्यान से समझ ले एक बार। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा उनके पास लॉ की बुक है, इसको एक बार देख लें। 94 के (6) में क्लीयर उन्होंने राष्ट्रपति अथवा सरकार से भिन्न उसके उपराज्यपाल यानी कि हमारे उपराज्यपाल... एक बात इसमें उप राज्यपाल शब्द कोड किया है। हाँ भैया, इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें इन्होंने दिया 264 में भारत के राष्ट्रपति किसी राज्यपाल यानी अन्य प्रांतों के राज्यपाल पर ये सदन टिप्पणी नहीं करेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई बैठ जाइए आप। बहुत क्लीयर है, इसमें एक–एक चीज क्लीयर है। चलिए। अब मेरी इस पर व्यवस्था सुन लीजिए।

माननीय सदस्यगण, आप उसको गलत मेन्युपुलेट कर रहे हैं, गलत इन्टरप्रेट कर रहे हैं। ये सदन, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रांत के राज्यपाल पर चर्चा नहीं कर सकता। ये सदन भारत के राष्ट्रपति पर चर्चा नहीं कर सकता। ये सदन किसी राज्यपाल पर... अब बैठ जाइए। अब मैं... अभी चर्चा लैटर पर हो रही है, अभी चर्चा आपके लैटर पर हो रही है। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी के लैटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण, मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों का पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2018 आज सुबह अर्थात् 06 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट की है। हैरानी की बात यह है कि यह पत्र मुझ तक पहुँचने से पहले आज के द पॉयनियर, हिन्दुस्तान, हरि भूमि, वीर अर्जुन आदि समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

मैं इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रशासनिक मामले से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना सरकार का अधिकार है। यह माननीय उप राज्यपाल महोदय से संबंधित कोई व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं है। इसमें केवल कुछ उदाहरणों के साथ सरकार द्वारा उप राज्यपाल के कार्यालय को भेजी गई फाइलों की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। इसमें न तो कोई व्याख्या है और न ही किसी प्रकार का कोई आरोप है। यह एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रिपोर्ट है। आउटकम रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान भी श्री विजेन्द्र गुप्ता ने आपत्ति प्रकट की थी और मैंने उस समय भी उनकी आपत्ति को अस्वीकार कर दिया था। दिल्ली के उप राज्यपाल पद की स्थिति अन्य राज्यों के राज्यपाल पद से अलग है। दिल्ली में उप राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियाँ भी दी गई हैं और यह

सुस्थापित सिद्धांत है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। आई एम द गवर्नमैंट, वो कहते हैं। कार्यपालिका को बजट का आबंटन विधान सभा की स्वीकृति से ही होता है। इसके अतिरिक्त विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम–291 के अनुसार यदि नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह हो तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है तथा नियम–293 के अनुसार अध्यक्ष के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

अतः भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि मामले का राजनीतिकरण न करें और मीडिया में पब्लिसिटी के लिए अनावश्यक प्रयास करने की बजाय उन तथ्यों को समझने की कोशिश करें, जो आउटकम रिपोर्ट में दिये गये हैं, धन्यवाद।

(भाजपा के सभी माननीय सदस्यों द्वारा विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, ये उनका कसूर नहीं हैं। इनको ऊपर के अधिकारियों से मनोज तिवारी जैसों से आदेश, जब एल.जी. पर चर्चा तो सदन का वाक आउट कर...। चलिये, हाँ श्री पंकज पुष्कर जी। नहीं... आप प्लीज। देखिये मेरे पास राइटिंग में माननीय उप मुख्य मंत्री का कोई संदेश आया हुआ है, आप बैठिए दो मिनट, उनका संदेश आया हुआ है बैठिये, प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं बहुत ही गरिमा के साथ और बड़ी गंभीरता से इस ऐतिहासिक महत्व के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ।

माननीय महोदय, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जब भारतीय लोकतंत्र की सेवा करने की बात आती है, जब जब आम जनता के आम आदमी के थोड़े से भी हित की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र को दिखाते हुए हमेशा मैदान छोड़कर भागती है। अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, जवाब देने से बचते हैं, यही उन्होंने आज भी किया है। लेकिन क्योंकि ये बात इतिहास में दर्ज होगी उनके और उनके सलाहकार सुन रहे होंगे तो ये बात को दर्ज करें वो।

सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री महोदय की उस विनम्रता को मैं इतिहास में दर्ज करना चाहता हूँ और अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आउटकम बजट के माध्यम से स्वयं को और ज्यादा उतरदायी बनाने की एक परंपरा इस विधान सभा ने शुरू की। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने शुरू की। ये तो विनम्रता है, लेकिन अक्सर विनम्र लोग बहादुरी में पीछे रह जाते हैं, तो इस सरकार ने विनम्रता का एक प्रतिमान मापदंड स्थापित किया, लेकिन पुरूषार्थ और बहादुरी का भी एक नया मापदंड स्थापित किया कि हम लोकतंत्र के बाकी जो पहलू हैं, लोकतंत्र की जो बाकी निकाय हैं, उनको भी जवाबदेह बनायेंगे, उनको भी उत्तरदायी बनायेंगे, ये काम हम करेंगे और करवायेंगे। तो एलजी नाम की जो एक संस्था है, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा। हर व्यक्ति के अंदर एक विवेक छिपा होता है, लेकिन एलजी नाम जो इंस्टीट्यूशन है, उसको जवाबदेह बनाने की जो परंपरा शुरू की है, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय लोकतंत्र को गहरा करने का एक बहुत बड़ा पवित्र कर्तव्य जो है, उसको हमारा सरकार, हमारी विधान सभा पूरी कर रही है, ये बात दर्ज होने लायक है।

माननीय महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे लोकतंत्र के इतिहास को हम देखते हैं तो लोकतंत्र एक प्रिंसिपल आफ चैक एंड बैलेंस के एक तो सिद्धांत पर टिकी हुई है कि एक शक्तियों का कुछ संतुलन होगा, कहीं नियंत्रण भी होगा और एक दूसरा बुनियादी सिद्धांत है संसदीय संप्रभुता, संसद, संसद एक जेनरिक कर्म है। संसद का मतलब ये विधान सभा भी संसद है, उस मायने में। संसद माने वो निकाय जहाँ कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और लोकतंत्र की दिशा तय करते हैं, तो संसदीय संप्रुभता का जो सिद्धांत है कि लोकतंत्र के सभी निकायों में एक तो संविधान सर्वोपरि होगा और दूसरी संसद सर्वोपरि होगी। कुछ जगह ये तय किया गया, लिखा हुआ संविधान सर्वोपरि होगा कुछ जगह तय किया, भय उस परंपरा को मानता है, जिसमें कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को मानते हुए ये विधान सभा सर्वोपरि है, संसद सर्वोपरि है। उस बात को जहाँ भी लोकतंत्र विरोधी शक्तियाँ दबाने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र को जितना दबाया जायेगा, जनता की आवाज को जितना कुचला जायेगा, वो उतना सर उठाके, उतना ज्यादा पल्लिवित होगी, उतनी ज्यादा आगे आएगी। दिल्ली विधान सभा ये जिम्मेदारी लेती है।

माननीय महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उप राज्यपाल महोदय और उनके सलाहकार सदन की इस चर्चा को सुन रहे होंगे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन है, ये, कहाँ से आया है; माननीय महोदय, गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। मैं केवल इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि एक ही इंस्टीट्यूशन आप आजादी के इतिहास को ध्यान करें तो वारेन हेस्टिंग जैसे भी गवर्नर जनरल थे, लार्ड कर्जन जैसे भी थे, जिन्होंने कि देश का हिन्दू मुसलमान के नाम पर 1905 में बंटवारा किया, बंगाल विभाजन हुआ। लेकिन

लार्ड रिप्पन जैसे भी थे, अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमैंट की शुरूआत की। लार्ड विलियम वेंटिक जैसे भी थे, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, बालिका की हत्या होती थी हिन्दुस्तान के अंदर, उसको समाप्त करने में मेहनत की। अब आप किस तरह की परंपरा आप जालियावाला हत्याकांड करने वाले लार्ड चैम्सफोर्ड की परंपरा का पालन करना चाहते हैं या वो माउंटबेटन जिसने कि ईमानदारी से देश की सेवा करनी चाही, अंग्रेज होते हुए भी, उसकी परंपरा। आप एक ही पद, एक ही इंस्टीट्यूशन हैं। एक समान शक्तियाँ हैं। संवैधानिक दायरा एक ही है, तो मैं एक तो माननीय उप राज्यपाल महोदय और उनके सलाहकार मंडल उनकी आत्मा तक ये आवाज पहुँचाना चाहता हूँ कि वे ये चुने कि वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दिल्ली की जनता के राजनैतिक इतिहास में अपने को किस रूप में दर्ज करवाने चाहते हैं, वे ये निर्णय करें।

माननीय महोदय, मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो एक संस्थान हैं, अभी जो विधायिका का और लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर का जो संस्थान का आपसी संबंध है, ये हमेशा से परिवर्तनशील रहे हैं। ये विकास होता रहा है इनमें। कोई ये रुका हुआ एक संबंध नहीं है। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो विधायिका का अधिकार है, जनता की आवाज को अभिव्यक्त करने का, जनता की आवाज को सर्वोपरि करने का और पूरे लोकतंत्र को जनता की अवाज के पीछे लेके चलने का, ये माँग के नहीं मिला है, ये संघर्षों से मिला है।

1688 की इंग्लैंड में हुई वो गौरवमयी क्रांति की मैं ध्यान दिलाना हूँ जिसमें कि 1688 से पहले राजा का आदेश कानून हुआ करता था। 1688 के बाद ये तय हुआ, जो आम लोगों की सभा होगी, जिसको इंग्लैंड में हाउस आफ कामन्स कहते हैं। आम आदमी आम औरत की जो सभा होगी,

वो उसके कहे से कानून बनेंगे। राजा का आदेश या लार्ड साहब का आदेश, वैरन का आदेश कानून नहीं होगा। इस गौरवमयी क्राँति को, ये एक बार की क्राँति नहीं है। क्राँतियाँ जिंदा होती हैं, क्राँतियाँ बहती रहती हैं।

मैं अपने मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री और इस विधान सभा के स्पीकर महोदय, आपने जो लोकतंत्र को गहरा करने का काम किया है, आपको मैं सलाम करते हुए, अभिवादन करते हुए, मैं आपसे अपील करता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय हमारे राजनैतिक हमारे अगुवा हैं, आप हमारी विधान सभा के अध्यक्ष हैं, हमारे अभिभावक हैं। उप राज्यपाल महोदय हमारे एलजी हैं, लोकल गार्जियन हैं, उन्हें तय करना है कि वो कुछ करप्ट शक्तियों के, कुछ संविधान विरोधी शक्तियों के अभिभावक बनेंगे या दिल्ली की जनता के अभिभावक बनेंगे, मुझको और देश भर को उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से है। दिल्ली विधान सभा और दिल्ली विधान सभा के सदन के सभापति के नाते आपसे है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र को गहरा करने की लड़ाई है, जो विधायिका के सामने पूरी सत्ता को उत्तरदायी बनाने की लड़ाई है, कृपा करके इसका नेतृत्व करें। हमारे मुख्य मंत्री और इस विधान सभा के सभापति ने इस सदन को पिछले 15 दिन एक ऐतिहासिक सदन में बदल दिया है। आने वाले राजनैतिक शास्त्र के विज्ञानी और पत्रकार इसे इतिहास को दर्ज करेंगे, जानेंगे कि एक छोटे से दिल्ली, जिसको अभी तक पूरे राज्य का दर्जा अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं दिया गया है, उसकी विधान सभा लोकतंत्र को जिंदा रखने का संघर्ष कर रही है, उसकी विधान सभा ने विधान सभा के अंदर, न्यायालय के अंदर उस संघर्ष को आगे बढ़ाया है। मैं आपको सलाम भी करता हूँ और आपसे अपील भी करता हूँ कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

माननीय महोदय, ये जो बहुत तकनीकी बात कहके आदरणीय विजेन्द्र गुप्ता जी गये, विजेन्द्र गुप्ता जी, जो बात कहते हैं, दिलचस्प बात ये है कि एलजी सेक्रेटेरियट से जो जवाब आता है, वो बड़ा मिलता जुलता है। उन्होंने प्रोसिजरल इररेगुलैरिटी की बात की है। कंस्टीट्यूशनल प्रोपराइटी की बात की है, ये बात, ये वही बात है, जो 1905 से पहले राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अंग्रेज और उनके अंग्रेजों की जो वफादार कौम थी, वो जो भाषा इस्तेमाल करती थी, ये वही भाषा है।

माननीय महोदय, अंग्रेज चले गये, अंग्रेजियत नहीं गयी। ये वो लोग, जिनके आदर्श जर्मनी और उसके हिटलर हैं, ये लोग जिनके आदर्श लार्ड कर्जन जैसे वायसराय हैं, जो देश को बाँट देना चाहते हैं, जनता को कुचल देना चाहते हैं, जलियावालां हत्याकांड करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये देश के शहीदों का सम्मान करने वाली विधान सभा है। माननीय महोदय, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये विधान सभा अनिवार्य रूप से इस अपने दायित्व का पालन करे और करेंगी, जो लोकतंत्र को बचाने का और आगे बढ़ाने का संघर्ष है।

माननीय महोदय, एलजी साहब के तरफ से, उनके सचिवालय की तरफ से, उनके सलाहकारों की तरफ से बात आयी कि वो बुधवार को और कोई विस्तृत उत्तर देंगे, हमारे लीडर आफ अपोजिशन महोदय कह रहे थे कि. कुछ तकनीकी बातें कह रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता आप की इस बारीक कानून बाजी को नहीं जानते, वे तो ये जानती है; आप ये बता दीजिएगा कि दिल्ली की जनता देश की पहले बाकी सबकी तरह उसकी नागरिकता है या वो दूसरे दर्जे की नागरिकता हैं। अगर दिल्ली की जनता के वोट की कीमत वही है, जो आपके नोएडा के पार वोट की कीमत है या इधर हिसार की तरफ वोट की कीमत है, उतनी ही कीमत है या उसके

वोट की आधी कीमत है, वो ये जानना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि दिल्ली की अगर उनकी चुनी हुई सरकार ये चाहती है कि दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भोजन मिल जाये, अक्षय पात्र जो कि आठ और राज्यों में संवैधानिक तरीके से जिसको दायित्व मिला हुआ है, दिल्ली की सरकार भी चाहती है, मिले।

माननीय एलजी महोदय और उनके सलाहकारों ने उसपे अड़ंगा लगाया किस तकनीक का, किस प्रोसिजर का, किस प्रोपराइटी का आप हवाला दे रहे हैं। माननीय महोदय, जब से मैंने बोलना शुरू किया, इतनी देर में देश के कुछ बच्चे भूखमरी के शिकार होके मर गये हैं।

माननीय महोदय, देश के अन्दर, इसी हमारे भारत देश के अन्दर 6 लाख बच्चे जन्म लेके एक महीने के अन्दर मर जाते हैं। कुपोषण के कारण मर जाते हैं। आप बताइए कि एक भी बच्चे की जान बचाने का काम इस पूरे सदन के हाथों हो गया तो कितना बड़ा पुण्य होगा। कितना बड़ा वो धर्म का काम होगा और अगर एक भी बच्चे की मौत का कारण ये सदन, ये उप राज्यपाल महोदय का सचिवालय बनता है, कुपोषण के कारण अगर एक भी बच्चे की मौत, एक भी बच्चे की बीमारी का कारण हमारी अगर ब्यूरोक्रेसी बनती है, हमारी लेटलतीफी बनती है इस उप राज्यपाल महोदय की कुछ कानूनी अड़चन बनती है, दुनिया में कही इस अपराध की माफी होगी? इस एक भी बच्चे की मौत का बोझ लेके हम जी पाएंगे? दिल्ली में एक ऐसे मुख्य मंत्री, एक ऐसे उप–मुख्य मंत्री हैं जो कि राजनेताओं की तरह नहीं सोचते, जो इन्सानों की तरह सोचते हैं। पूरा देश उनसे उम्मीद करता है। पूरे देश की अभी आपने जिम्मेदारी नहीं दी है, दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, करने दीजिए। मैं माननीय उप राज्यपाल महोदय से केवल

इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मानवीयता, मनुष्यता किसी कानून दाँव पेंच से ऊपर होती है।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः मैं बहुत संक्षेप में तीन–चार बातें रखके बहुत मोटी–मोटी बातें माननीय महोदय, कि अक्षय पात्र के माध्यम से, मिड मिल की बात आई। नौजवान... दिल्ली विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक स्लम ऑफ हायर एजूकेशन है जिसका नाम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। माननीय महोदय, हमारे दिल्ली में ढ़ाई लाख बच्चे हर साल बारहवीं पास करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज उनको एडमिशन नहीं दे पाते। साढ़े चार लाख बच्चा मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में एसओएल में दर्ज है। सेन्ट्रल गवर्नमैण्ट के फण्ड से दिल्ली यूनिवर्सिटी चलती है। इनका कोई उसमें दखल ये नहीं देना चाहते। उनके पास केवल बीस दिन साल में पढ़ाई होती है। पूरा साल बीत जाता है। ऐसे बच्चों के हमारे माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने ऐ योजना दी कि तुमको हम ऋण दिलावाएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई दाव पर लगाने के लिए, गिरवी रखने के लिए, कोलेटरल गारण्टी देने के लिए नहीं है, दिल्ली सरकार करेगी। इतने पवित्र काम को, इतने जनप्रिय, युवाप्रिय काम को दिल्ली के नौजवानों को, उनका हाथ थामने के एक उपाय को आपने अपनी लेट–लतीफी, अपनी नौकरशाही, अपने रियायतटिज्म में आपने 402 दिन आपने शहीद कर दिया, 402 दिन! जब एक मौका छूट जाता है। ईश्वर बार–बार मौका नहीं देता। उन 402 दिन की देरी का क्यों हजारों नौजवानों की जिन्दगी एक साल छूट गया, जिन्दगी हमेशा के लिए छूट गई। मौके बार–बार नहीं मिलते। अगर उनकी जिन्दगी, जो मौका उन साल में, उन 402 दिनों में आ सकता था, वो उनसे छीन लिया गया, उस अपराध का बोझ लेकर हम कहाँ जाएंगे। माननीय महोदय,

बहुत सारी बातें हैं। मैं केवल इतना निवेदन करूँगा कि एक बहुत छोटी सी चीज है। आखिर बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। डीडीए... एक कानून के बल पर आपने पूरे दिल्ली के देहात और पूरे दिल्ली के जो नागरिक समाज की जमीनें थीं, एक कानून की कीमत पर आपने डीडीए को दे दी। बहुत लम्बे संघर्ष के बाद जमींदारी उन्मूलन हुआ। जमींदारी व्यवस्था खत्म हुई लेकिन आपने एक कानून के बल पर डीडीए को हमारी छाती के ऊपर जमींदार बना के बैठा दिया। उस डीडीए को किसलिए बनाया गया था? कोई रीयल एस्टेट कम्पनी का नाम नहीं है डीडीए। डीडीए दिल्ली के विकास के लिए बना एक प्राधिकरण है। जो कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए है, दिल्ली के देहात के लिए, दिल्ली में बाहर से आके बसने वाले नौजवानों के लिए उसमें स्कूल बनने थे, उसमें कालेज बनने थे, वहाँ पर विश्वविद्यालय बनने थे, अस्पताल बनने थे, जिमनेजियम बनने थे, खेलने के मैदान बनने थे, बारात घर बनने थे। सारी चीजें बननीं थी और वो उस डीडीए में दिल्ली के बच्चे–बच्चे को पता है कि डीडीए माने भ्रष्टाचार। दिल्ली के एक–एक आदमी को पता है कि डीडीए माने दबंगों के कब्जे। अरबों की, करोड़ों की हमारी, हमारे देहात के लोगों की, दिल्ली के लोगों की अरबों की जमीन को लूटवाया जा रहा है। कब्जे करवाये जा रहे हैं। दबंग उस पर कब्जे कर रहे हैं। ये बात सबको पता है। लेकिन एलजी साहब और उनके सचिवालय को नहीं पता और खुलेआम चार लाख रुपये रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा है। सबको पता है, सबको पता है। ये एलजी साहब को नहीं पता। इससे ज्यादा डूब मरने की बात क्या होगी। माननीय महोदय, मुझे इससे ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। डीडीए फेल, डीडीए में रिश्वत का खेल! डीडीए में रिश्वत का खेल और एलजी साहब यहाँ भी फेल। आपको तो पूरी सत्ता दे दी थी। डीडीए में खुल्लमखुल्ला रिश्वत का खेल चल रहा है। डीडीए में खेल चल रहा है और एलजी साहब

पूरी तरह फेल हैं। मैं केवल ये निवेदन करूँगा माननीय महोदय, दिल्ली की जो ढ़ाई करोड़ जनता है, सबके वोटर्स कार्ड नहीं बने। ढ़ाई करोड़ से ज्यादा जनता है। अगर दिल्ली को आप अभी यही तय करें न यूनियन टेरीटरी, यूनियन टेरीटरी हो राज्य हो, दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो तड़प रही हैं। माननीय महोदय, मैं आपसे साफ निवेदन करना चाहता हूँ जब डीडीए में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चुप्पी है, एलजी साहब की, दिखाएंगे, इसको कितना छुपाएंगे, ये भी दिखाना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, बैठिए। नितिन जी, यहाँ से नहीं होता। बैठिए प्लीज।

पंकज पुष्करः माननीय महोदय, मैं केवल इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ सच को, इन्साफ को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, उतना बढ़ेगा। लार्ड कर्जन ने हिन्दुस्तान का बंटवारा तो ये सोच के किया था, उसने ये सोचकर बंटवारा किया था कि वो हिन्दुस्तान के राष्ट्रवाद को कुचल देंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लार्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, देश का विभाजन किया, उसी वजह से देश उठ खड़ा हुआ था। देश की जनता उठ खड़ी हुई थी। राष्ट्रवाद सिर उठाके खड़ा था। अगर दिल्ली की जनता को उसका न्यायोचित अधिकार से वंचित किया जाएगा, ये दिल्ली विधान सभा, दिल्ली के मुख्य मंत्री उसके संघर्ष को विधान सभा में लड़ेंगे। हम न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो, दिल्ली की जनता तो इतनी तड़प रही हैं कि वो सड़कों पर भी उतरेगी। आप अनुमति दीजिएगा, निश्चत रूप से दिल्ली की जनता की पूर्ण राज्य की जो न्यायोचित माँग है, उस पर संघर्ष शुरू हो चुका है। लार्ड कर्जन ने जैसे देश को जगाया था, हमारे एलजी साहब दिल्ली को जगा चुके हैं। मैं उनको धन्यवाद

देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने दिल्ली की सोई हुई जनता को झकझोर के खड़ा कर दिया है। दिल्ली विधान सभा को उसके कर्त्तव्य याद दिला दिये हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए दिल्ली की जनता को वोट का पूरा अधिकार देने के लिए संघर्ष करें, आगे बढ़े। हम जानते हैं एलजी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके मन में दिल्ली की जनता को जगाने का सपना है। दिल्ली की... शायद विधान सभा को जगाने का सपना है। हम बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं अपील करता हूँ अपने मुख्य मंत्री महोदय से कि वो देश का और दिल्ली का नेतृत्व करें। लोकतंत्र खतरे में है। संघवाद खतरे में है। राज्यों के अधिकार खतरे में हैं। उसको वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। साहस के साथ पूरे देश का नेतृत्व करें, बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय।

माननीय अध्यक्षः श्री मदन लाल जी। बहुत कम समय में।

श्री मदन लालः महोदय, आपने मुझे इस वर्निंग टॉपिक पर बोलने का मौका दिया, आउटकम रिपोर्ट ऑफ दि ऑफिस ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, कि जिस डिस्कसन को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में शुरू किया और जहाँ हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये। उससे स्पीकर साहब एक बात बहुत अच्छी तरह तय है कि यहाँ सवाल लोगों की भलाई के काम करने का नहीं है। एक सरकार जो वेल्फेयर स्टेट बनना चाहती है, उसका नहीं है, बल्कि सत्ता पर कैसे काबिज हों, उस सत्ता की मदद से कैसे उन वेल्फेयर के कामों को रोका जाए, ये लड़ाई उसकी है। प्राचीन काल में जब मानवता का विकास हो रहा था तो सबसे पहले जो आतातायी गुण्डे और बदमाश थे सत्ता पर काबिज उन्होंने किया जो सबसे ज्यादा वहशी दरिन्दे थे। उन्होंने समाज के हर उस नागरिक को जिसको वो चूस सकते थे, भरपूर उनका दोहन किया। समय बदला,

ताकतवर के साथ बुद्धिमान लोगों ने सत्ता पर काबिज करना शुरू किया। हमारे दोनों बड़े धर्मग्रन्थ चाहे वो महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, अगर हम देखें तो सत्ता पर काबिज परिवारवाद रहे हैं। वहाँ सत्ता परिवार से अलग बिल्कुल नहीं थी और उसी क्रम में अगर देखें तो वहाँ रावण जैसे दरिन्दे थे। वहाँ बाली जैसे दरिन्दे थे जो सत्ता के नशे में चूर समाज का दोहन करते थे। अब से कोई 2300 साल पहले इस धरती पर आचार्य चाणक्य ने जन्म लिया और उस आतातायी राजा नन्द को समूल नष्ट किया जो उस समय बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर कहर बरपा रहा था। चन्द्रगुप्त को सत्ता सौंपी और उन्होंने राजनीति और समाज का भला कैसे हो, उसका डिफाइन करने के लिए अर्थशास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और राजनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ आज के दिन लोग मानते हैं। उस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने उस सत्ता को, उस सरकार को चलाने के लिए, यह वो सबसे ज्यादा वेल्फेयर के काम कैसे करें, उसके कई सत्ता के डिविजन कर दिए। गुप्तचरी का काम गुप्तचरों को दिया, सेनापति का काम रक्षा के सेनापति को दिया और फाइनेंस का काम फाइनेंस को देते हुए विभिन्न अंग उस सरकार में बनाए और सरकार में बनाने के साथ–साथ एक व्यवस्था की कि ये सारे लोग राजा को सलाह देंगे और राजा उस सलाह पर वेल्फेयर के लिए काम करेंगे। वो पद्धति आहिस्ते–आहिस्ते चलती रही। जो–जो, जहाँ–जहाँ आततायी राजा राज्य करते रहे, उनका नाश होता रहा और आज के दिन जैसी डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, आज जिस डेमोक्रेसी की वजह से हम सब लोग यहाँ इसका हिस्सा हैं, वो केवल जनता की ताकत से है। ***House is; there will be a council of ministers who will advise the Lt. governor.*** यहाँ एडवाइस किसको करना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और एडवाइज सुननी किसने है? माननीय उपराज्यपाल ने और सुनकर क्या करना है? उनका पालन करना है कि वो लोग जो जनता के

चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं, वो सलाह जो जनता की भलाई के लिए है, उनकी सलाह को इम्प्लीमैंट करना आज के दिन एलजी की जिम्मेवारी है, इस नए सिस्टम के थ्रू। पर हो क्या रहा है? हो उल्टा रहा है।

आचार्य चाणक्य ने जब यह कल्पना की थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राजा को सलाह देंगे। राजा उस सलाह को माने। यहाँ उल्टा दूसरी तरफ हो रहा है। यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सलाह दे रही है; वो कह रहे हैं, तुम नहीं दो सलाह। मैं सलाह दूँगा कि आपने क्या करना नहीं है, उसको मानो। आपकी तीर्थयात्रा का प्लान जैसे आप कह रहे हो, मैं आपकी सलाह नहीं मानता। मैं अपनी सलाह आप पर थोपूँगा कि आप इसमें बीपीएल वाले पैदा करो। सब को पता है तीर्थयात्रा पर जाने के लिए मानसरोवर यात्रा को फाइनेंस गवर्नमैंट करती है, सब्सिडी देती है। मक्का मदीना पर जाने वाले लोगों को सब्सिडी दी जाती है पर अगर दिल्ली सरकार 53 करोड़ रुपये का बजट रखकर हर सब्जेक्ट को... 77 हजार लोगों को अगर तीर्थयात्रा करने के लिए सात हजार रुपया प्रत्येक पर खर्च करने की बात करे, वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। क्योंकि यह तो जनता की भलाई की चीज है। अगर हम नहीं कर रहे जनता की भलाई, हम लोगों को डिमोनेटाइजेशन के जहर पिला–पिला कर मार रहे हैं, जीएसटी कर रहे हैं, उसके बाद जो हम और स्कीम ला रहे हैं जिससे जनता दुःखी हो तो आप भलाई की बात कहाँ कर रहे हो। और आज यही कारण है कि जितने लोगों की भलाई के प्रोजेक्ट हैं; अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करे तो सबसे पहले सवाल आता है कि डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? अरे भाई, आप अप्वाइंट तो करो। आज कई हजार लोगों की भर्ती गवर्नमैंट की नहीं हो पा रही है क्योंकि एलजी महोदय वहाँ से परमिशन नहीं दे रहे हैं। चाहे

वो अस्पताल की बात हो, चाहे वो शिक्षा में गेस्ट टीचर्स की बात हो। उस गेस्ट टीचर्स के मामले पर कितनी हील–हुज्जत के बाद वो परमिशन हुई, इसको हम सब जानते हैं। हममें से 47 विधायकों को एक बार एलजी साहब के घर रात के नौ बजे तक भूखा–प्यासा बैठना पड़ा, तब कहीं जाकर वो सीसीटीवी कैमरे की बात हुई। महोदय, काम रोके जा रहे हैं और अगर इस आउटकम रिपोर्ट की बात हो रही है तो कम से कम जनता में एक मैसेज जाना चाहिए कि सत्ता में काबिज कौन है और जनता की भलाई कौन करना चाहते हैं या जनता की भलाई वर्सेस सत्ता की लड़ाई हो रही है। इसलिए आज के इस डिस्कशन में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और उप मुख्य मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जनता की भलाई के लिए जिन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया और जिसको बार–बार एलजी के ऑफिस से रोका जाता है, एटलीस्ट जनता के सामने लाने की बहुत बड़ी सफल कोशिश की। उन लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए कामों को रोकना चाहते हैं, उनको शर्म आएगी और कम से कम वो लोग जो उधर उन लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्हें शर्म आएगी कि हम जनता का गला घोंटने के लिए क्या कर रहे हैं और यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में जनता के भले के लिए क्या–क्या काम कर रही है। मैं आपका बहुत–बहत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय

में और इतना कॉम्प्लेक्स इशू था, उसको बड़े सरल तरीके से यह रिपोर्ट सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने रखी है। जनतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ और जो ऐसा कहता है, वो संविधान के खिलाफ बात करता है। क्योंकि संविधान का मूल ढांचा जनतंत्र है, हम लोगों के संविधान का मूल ढाँचा... मुझे उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि रिपोर्ट आने के बाद कल एलजी हाउस से इसका काउंटर आया तो पब्लिक में डिबेट चालू हुआ। यही मकसद था कि जनता के सामने आना चाहिए कौन सही है, कौन गलत है। तथ्य सब के सामने आ गए। अब जनता तय करेगी, तथ्यों का सब के सामने आना बहुत जरूरी था। तो यह एक हेल्दी डिबेट्स चालू हुआ और मुझे लगता है कि इसको एनुअल बजट का हिस्सा बना लिया जाए कि हर साल एलजी के ऑफिस का आउटकम बजट पेश किया जाएगा।

मैंने दोनों पढे; जो आउटकम बजट है, वो भी और जो एलजी साहब का काउंटर है, वो भी। मुझे बहुत खुशी इस बात की भी है कि एलजी साहब के काउंटर में लगभग कई सारी बातों को उन्होंने कबूल किया है जो आउटकम बजट की रिपोर्ट में था। एलजी साहब ने अपने उसमें लिखा है कि मेरे पास दस हजार फाइलें आईं। 97 परसेंट फाइलें मैंने अप्रूव कर दीं। तीन परसेंट फाइलें मैंने अप्रूव नहीं कीं। तो 10 हजार का तीन परसेंट बनता है 300। तो 300 फाइलें उन्होंने अप्रूव नहीं की तो सिसोदिया जी से लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई। सिसोदिया जी कह रहे थे 32 फाइलें नहीं कीं। एलजी साहब कह रहे हैं 32 नहीं, मैंने 300 फाइलें अप्रूव नहीं कीं।

जो 97 परसेंट फाइलें हैं, 9700 फाइलें थीं, वो किस किस्म की फाइलें थीं, तो कल मैं होम मिनिस्टर से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि इनमें से पाँच से छह हजार फाइलें तो पेरोल की रूटीन में जाती हैं। लॉ मिनिस्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अपील फाइल करें कि न करें, जितने केस हम लोग निचली अदालत में हार जाते हैं, वो रुटीन में सिग्नेचर के लिए एलजी साहब के पास जाती है। डीडीए की हजारों फाइलें जाती हैं। रुटीन की 9700 फाइलें थीं, पुलिस की इतनी फाइलें जाती हैं, सर्विसेस की, विजिलेंस की इतनी फाइलें, रूटीन की फाइलें जाती हैं तो 9700 फाइल्स थी, वो रूटीन की थी। 300 फाइल्स थी जो पॉलिसीज से रिलेटिड थी; बड़ी–बड़ी मोहल्ला क्लिनिक, तीर्थ यात्रा, राशन, एक करोड़ की वो सैनिकों को देना, इस किस्म की 300 फाइलें थीं, एलजी साहब ने अपने नोट में कबूल किया है कि वो मैंने 300 फाइलें खारिज कर दीं, मैंने अप्रूव नहीं की। वो खुद कबूल कर रहे हैं यह।

एक अक्सर गलतफहमी फैलाई जाती है कि शीला जी के टाइम पर तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। यह आप ही की सरकार अड़ती है।

आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शीला जी के पास जो पॉवर थी, आज हमारी सरकार से वो सारी पॉवर छीन ली गई है। कौन–कौन सी वो पॉवर थी, जो हमसे छीन ली गई है; पांच पॉवर थी, जो शीला जी के पास थी, हमारे पास नहीं है। शीला जी के पास यह पॉवर थी कि वो किसी भी अफसर को ट्रांसफर कर सकती थी, उसकी पोस्टिंग कर सकती थी। उन्हें लगता था कि यह अफसर अच्छा है, अच्छ काम करता है तो अच्छी वाली पोस्टिंग दे दो, ये अच्छा काम करेगा। उनको ये लगता था कि अफसर गड़बड़ है तो उनके पास पॉवर थी कि उसको यहाँ से हटाकर यहाँ कर दो। मुझे बताया गया एक दो अफसर तो ऐसे हैं जिनको एक

एक साल तक उन्होंने बिना पोस्टिंग के रखा था, अश्वनी कुमार को। सात आठ महीने तक उसको बिना पोस्टिंग के रखा था क्योंकि ठीक नहीं काम कर रहा था। हमें भी लगा ठीक काम नहीं कर रहा तो उनके पास पॉवर थी ट्रांसफर और पोस्टिंग करने की। वो पॉवर हमसे, आने के बाद केन्द्र सरकार ने छीन ली। आज हम किसी भी अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। उनके पास पॉवर थी कि कोई भी अफसर अगर गलत काम करे, उसके खिलाफ विजिलेंस प्रोसीडिंग शुरू करने की। डिसिप्लनरी प्रोसीडिंग शुरू करने की। उस अफसर को सस्पेंड करने की और अगर साबित हो जाए तो उस अफसर को नौकरी से डिसमिस करने की पॉवर शीला दीक्षित जी के पास थी। आज अगर हमारे सामने कोई अफसर गड़बड़ काम करे तो हमारे पास ये पॉवर नहीं है। विजिलेंस की केन्द्र सरकार ने हमसे ये पॉवर छीन ली है। शीला जी के पास पॉवर थी एंटीकरप्शन ब्रांच की कि अगर कोई अफसर भ्रष्टाचार करे तो शीला जी उसको पकड़कर जेल भेज सकती थी। हमारे पास ये पॉवर नहीं है आज हमसे एंटीकरप्शन ब्रांच मोदी जी ने छीन ली, प्रधानमंत्री जी ने छीन ली, केन्द्र सरकार ने छीन ली। आज अगर कोई मेरी आँख के सामने कोई अफसर रिश्वत ले रहा हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ। ये पॉवर हमसे छीन ली। शीला जी के पास पॉवर थी खाली पोस्टों पर भर्तियाँ करने की। डीएसएसएसबी शीला जी के अंडर में आता था। आज हमारे पास पॉवर नहीं है; खाली पोस्टों पर भर्तियाँ करने की, नई पोस्ट क्रिएट करने की। डीएसएसएसबी आज हमारे से छीन लिया गया है। हम कोई नई भर्तियाँ नहीं कर सकते। शीला जी के टाइम पर सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाती थीं। एलजी साहब मनमानी चार अंग्रेजी की लाइनें नहीं लिख सकते थे, फाइलें ही नहीं जाती थी तो क्या लिखेंगे? वो जब फाइल जाती है तो लिखते हैं। शीला जी के टाइम पर सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाती थी। आज

सारी फाइलें, दिल्ली सरकार की एक एक छोटी से छोटी फाइल भी एलजी साहब के पास... तभी तो 10 हजार फाइलें हो गई। नहीं तो 10 हजार फाइलें एलजी के पास। 10 हजार फाइलों का क्या मतलब? तो सारी फाइलें आज दिल्ली सरकार की आज एलजी साहब को जाती हैं। तो हर फाइल पर वो दो चार अंग्रेजी की लाइनें लिख देते हैं। एलजी साहब ने कल अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है, ***the few files… jo kah rahe hain 300 files returned were those files which were incomplete or in contravention of rules.*** एलजी साहब ये कह रहे हैं कि भई, जो फाइलें वापस करीं, उसमें इन्होंने वो फाइल इनकंप्लीट थी, प्रोसीजर फोलो नहीं किया था, रूल्स के खिलाफ थीं, इसलिए मैंने वापस करी। अब एक फाइल हमारी थी दिल्ली हेल्थकेयर कार्पोरेशन लिमिटेड की, उसमें एलजी साहब ने एक लाइन लिखके भेजी, 'आई डॉण्ट थिंक इट इज अ गुड आइडिया।' ये कौन से रूल का वॉयलेशन है। 'आई डॉण्ट थिंक इट इज अ गुड आइडिया!' इसमें कौन से रूल का वॉयलेशन है इसमें कौन से प्रोसीजर का वॉयलेशन है ऐसे तो हिटलर भी नहीं करता होगा। ये तो तानाशाही है, ये तो डिक्टेटरशिप है बस 'आई डॉण्ट थिंक इट इज अ गुड आइडिया!' हो सकता है उस दिन वाइफ से झगड़ा हो गया हो तो ही डिड नॉट लाइक द आइडिया। वो फाइल की किस्मत खराब थी, वो उसी दिन उनको पुटअप हुई तो उन्होंने लिख दिया, 'आई डॉण्ट थिंक इट इज अ गुड आइडिया।' अब ऐसे फाइलें अगर बीवी के झगड़े के बीच में फाइलें फंसेंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने लिखा एक करोड़ रुपये... हमने कहा था कि एक करोड़ रुपये देंगे जो शहीद होगा। सेना का शहीद... कोई सैनिक अगर होगा अगर वो दिल्ली का रहने वाला है तो उसके परिवार को सम्मान के रूप में एक करोड़ रुपये की राशि देंगे। हमने कहा था दिल्ली पुलिस में अगर कोई काम करता है, वो ड्यूटी पर मारा जाता है, काम करते हुए किसी आपरेशन में मारा जाता

है, उसके परिवार को एक करोड़ रुपये देंगे। हमने कहा था फॉयर डिपार्टमैंट का अगर कोई कर्मचारी फॉयर आपरेशन में मारा जाता है, उसके परिवार को एक करोड़ रुपये देंगे। बताओ, क्या गलत करा था? ये वाली फाइल भी एलजी साहब ने पहले तो लिख दिया केन्द्र सरकार की ओपिनियन ले लो। कानून में कहीं नहीं। अरे! केन्द्र सरकार की ओपिनियन लेते हो तो दिल्ली वाले बेवकूफ थे जो चुनाव में लंबी लंबी लाइनों में वोट डाल के आए थे? उन्होंने वोट केजरीवाल को दिया था, उन्होंने वोट मोदी को नहीं दिया था, मोदी को तीन सीट दी थी। उन्होंने केन्द्र सरकार को हराया था और एलजी साहब कहते हैं, उनसे पूछो। क्यों पूछें? नहीं पूछते हम। फिर भी हमने सोचा यार! क्या फायदा लड़ाई करने से, हमने भेज दी फाइल। दो साल तक फाइल केन्द्र सरकार में पड़ी रही दो साल तक कोई जवाब नहीं आया। रिमांइडर पर रिमांइडर भेजे, अफसर भेजे, फोन करे केन्द्र सरकार को, भई, इतनी हमारी दूसरी फाइलें अटका रखी हैं, ये तो क्लीयर कर दो। उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर एलजी साहब को चिट्ठी लिखी जी, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे। अब एलजी साहब ने एक और ऑब्जेक्शन कोई लगाकर भेजा। इसमें अब ये बताओ, एलजी साहब की इसमे कौन से कानून की वॉयलेशन है, कौन से प्रोसीजर की वॉयलेशन है? आप क्यों बदला ले रहे हो हमारे सैनिकों से? आप क्यों बदला ले रहे हो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों से? आप क्यों बदला ले रहे हो हमारे फायर्स... मैं छह परिवारों को, फॉयर डिपार्टमैंट के छह परिवारों को हमने अनाउंस कर रखा है कि एक करोड़ रुपया देंगे। रोज उनकी विधवाएँ मेरे घर के चक्कर काटती हैं कि क्या हुआ जी, उस एक करोड़ रुपये का। मैं क्या जवाब दूँ उन लोगों को? उस फाइल को भी... शर्म आनी चाहिए! उस फाइल को भी एलजी साहब ने कहते हैं... अब एक उसमे लिख दिया, 'लॉ डिपार्टमैंट की ओपिनियन लो।' मोदी जी ने जब नोटबंदी करी थी मोदी जी एक सील्ड कवर में लेकर

गये थे। केबिनेट की मीटिंग के पहले या बाद में बताने राष्ट्रपति जी के पास लेकर गये। उसमें कोई लॉ डिपार्टमैंट की ओपिनियन नहीं थी। कोई फाइनेंस डिपार्टमैंट की ओपिनियन नहीं थी। राष्ट्रपति ने तो नहीं लिखा कि लॉ डिपार्टमैंट की ओपिनियन लेकर आओ। क्यों? राष्ट्रपति जी ऐसे नहीं थे जैसे ये कर रहे हैं। कैबिनेट के अंदर आया कैबिनेट ने पास कर दिया। कोई लॉ डिपार्टमैंट की ओपिनियन नहीं। कैबिनेट सुप्रीम है। भई, कैबिनेट ने पास किया है। एलजी साहब कौन होते हैं हमें कहने वाले, 'लॉ डिपार्टमैंट की ओपिनियन लो।' लॉ डिपार्टमैंट एलजी साहब के अंडर में नहीं आता। अगर राष्ट्रपति को कोई प्रपोजल पुटअप किया जाता है तो राष्ट्रपति अपने लॉ आफिसर्स से पूछता है। एलजी साहब को पूछना है, एलजी साहब अपने लॉ आफिसर्स से पूछें। हमारे लॉ डिपार्टमेंट, हमारे फाइनेंस डिपार्टमैंट हमें कहते हैं... ऐसे हैं, जैसे हैडमास्टर लगे हुए हैं और हम कोई बच्चे हैं। कैबिनेट वाले हमारी होमवर्क की कापियाँ चैक करते हैं रोज बैठकर, 'तुमने ये ठीक नहीं किया, ये गलत कर दिया। ये रोज कापियाँ चैक करते हैं। इतना तो हमारे टीचरों ने तंग नहीं किया होगा जितना एलजी साहब हर कापी के अंदर... उसके बाद हमने कहा, 'भई जितने मोहल्ला क्लीनिक में टेस्ट होते हैं, जितने हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट होते हैं, हमने कहा, 'सारे फ्री होने चाहिए।' सारे फ्री! उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। बोले, केवल बीपीएल के लिए फ्री होंगे।' अब पहले तो वो लैब वाला देखेगा, तुम्हारा बीपीएल कार्ड हो। लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। बोले, 'केवल बीपीएल के लिए होनी चाहिए।' फिर हमने वो जो स्कीम बनाई थी कि हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगा तो प्राइवेट अस्पताल में आप करवा सकते हो। एक महीने में सर्जरी नहीं होगी तो प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हो। उसमें बोले कि बीपीएल के लिए होना चाहिए। ये कौन से प्रोसीजर की वॉयलेशन थी जी? ये कौन से रूल की वॉयलेशन थी? तो आप तो अपनी मनमानी चलाओगे,

जो आपके मन में आएगा, बीपीएल के लिए होना चाहिए! क्यों होना चाहिए? वोट माँगने हम गये थे, वोट माँगने आप नहीं गये थे। हमने कहा था दिल्ली की जनता को कि हम तुमको ये देंगे। हमने कहा था, दिल्ली की जनता ने वोट दिया, बस। ये डेमोक्रेसी है और उसके बाद एलजी साहब ने ये ऑब्जेक्शन लगाया मीडिया में ऐसी भद्द पिटी, एलजी साहब की ऐसी भद्द पिटी दस दिन में, फिर क्लीयर कर दिया। वही प्रपोजल क्लीयर कर दिया, वही प्रपोजल! वही चीज सारी। अब बिना बीपीएल की कंडीशन के क्लीयर कर दिया। तो एलजी साहब किसके प्रति जवाबदेह हैं? कौन जवाब देगा? जो एलजी साहब ने सेम प्रपोजल अगर एलजी साहब ने क्लीयर किया, इसका मतलब बदमाशी करी एलजी साहब ने। मान ली, मैंने बदमाशी करी। इसका जवाब दें एलजी साहब। दिल्ली की जनता को जवाब दें एलजी साहब कि सेम प्रपोजल को क्यों पास किया उसके बाद? क्यों मीडिया में भद्द पिटी। मीडिया ने ऐसी इनकी गत बनाई, ऐसी गत बनाई।

इन्होंने 'डोर स्टेप डिलीवर ऑफ सर्विसेज...' डोर स्टेप डिलीवर ऑफ सर्विसेज रिजेक्ट कर दिया। क्या कहकर रिजेक्ट किया कि ट्रेफिक बढ़ जाएगा सड़कों के ऊपर। ये लिखा था फाइल के ऊपर 'ट्रैफिक बढ़ जाएगा।' पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा सड़कों पर। इसमें कौन से वॉयलेशन थी, कौन से रूल की वॉयलेशन थी? कौन से प्रोसिजर की वॉयलेशन थी? ट्रैफिक बढ़ जाएगा, इसमें कोई वॉयलेशन थी। मीडिया में ऐसी भद्द पिटी, ऐसी भद्द पिटी, दस दिन में क्लीयर कर दिया सेम प्रपोजल। पूरा प्रपोजल सेम क्लीयर कर दिया। इसका मतलब गलत थे आप। बदमाशी कर रहे थे, इन्टेंशन खराब थी, नीयत खराब थी आपकी। साबित हो गया फाइलों पर, आपकी नीयत खराब थी।

अभी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, उसको इन्होंने लिख दिया, 'केन्द्र सरकार को भेजो।' कौन से वॉयलेशन हैं जी? कौन से रूल की वॉयलेशन है? कौन से प्रोसिजर की वॉयलेशन है? कौन से कानून में लिखा है कि केन्द्र सरकार को भेजो? क्यों भेजो केन्द्र सरकार को? हर चीज केन्द्र सरकार को भेजो। हमें वोट मिला है। जनता से मैंने जाकर पूछा, भई आपको लाइन में खड़ा होना अच्छा लगता है, कि आपके घर राशन मिले, कहते हैं कि जी, घर भेज दो राशन, बड़ा अच्छा है। हमारे घर कोई दे जाएगा। हमको क्यों राशन की दुकान पर जाना पड़ेगा। जनता बड़ी खुश है, राशन की चोरी बंद हो जाएगी। कहते हैं केन्द्र सरकार... इसमें एलजी साहब बताएँ, कौन से रूल की वॉयलेशन थी। मैं दिल्ली के दस अस्पतालों में गया। अस्पतालों में मैने देखा, बाकी सारी मैने पूछा दवाइयाँ मिलती हैं? सारे बोले, हाँ, दवाइयाँ मिल रही हैं। दवाइयों की खिड़की पर लम्बी लम्बी लाइन थी। मैंने एमएस से पूछा। एमएस बोला जी, अगर मेरे को नई खिड़कियाँ खोलनी हैं तो मुझे फार्मेसिस्ट चाहिए। फार्मेसिस्ट की भर्ती करनी पडेगी।' मैने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। मैने कहा, 'एलजी साहब, नए फार्मेसिस्ट की भर्ती कर दो। एलजी साहब ने आज तक... अगस्त का मामला है ये, आज तक भर्ती नहीं करी। अभी–भी लम्बी–लम्बी लाइनें लगी पड़ी हैं। बताओ एलजी साहब, इसमें कौन से प्रोसीजर की वॉयलेशन करी मैंने? मैने तो चिट्ठी लिखी थी आपको। आज भी दिल्ली में जनता लम्बी–लम्बी लाइनों में खड़ी है। आपकी जिम्मेदारी थी, सर्विसेज आपके पास है। आपकी जिम्मेदारी थी भर्ती करने की। आपकी जिम्मेदारी थी फार्मेसिस्ट... नई नई खिडकियाँ बनाने की। क्यों नहीं बनाई आपने? कौन जिम्मेदार है? इसमें कौन सी प्रोसिजर की वॉयलेशन की हम लोगों ने?

हमने कहा, थाना लेवल कमेटी बना दो।' शीला जी के टाइम पर थाना लेवल कमेटी होती थी। सारी आरडब्ल्यूएज मिला करती थी। एमएलए आता

था। वहाँ के लोकल लोग आया करते थे। पुलिस वाले बैठते थे, तो पुलिस वालों की एक जवाब देही होती थी। पुलिस वालों को जवाब देने पड़ते थे। एक रिश्ता भी बनता था पुलिस का और लोकल लोगों का। थाना लेवल कमेटी एबोलिश कर दी। हमने चिट्ठी लिखी 'जी, थाना लेवल कमेटी बना दो।' हमने फाइल भेजी एलजी साहब के पास। एलजी साहब ने उस पर. कोई बस बोले... मैं नहीं बनाता थाना लेवल। उसमें क्या प्रोसिजर की गड़बड़ थी? अगर दस साल तक शीला दीक्षित के टाइम में थाना लेवल कमेटी बनाई हुई थी तो अभी क्यों नहीं बन सकती थाना लेवल कमेटी, अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? उस टाइम अगर प्रोसिजर ठीक था तो अब प्रोसिजर गड़बड़ कैसे हो गया? उस टाइम अगर रूल ठीक थे तो अब रूल खराब कैसे हो गए? वक्फ बोर्ड में सात मेम्बर होते हैं। हमने मेम्बरों के इलैक्शन करवाए। एक–एक मेम्बर का अलग–अलग इलैक्शन होता है। एक होता है कि भई, वो एडवोकेट, उसको चूज करेंगे, एक होता है, एमएलएज में से चूज किया जाएगा, एक होता है, हमने हरेक का, हमने सब के इलैक्शन करवाये।

उसमें से एक मेम्बर जो एडवोकेटस में से चुना जाना था, वो हाई कोर्ट चला गया। उस एक मेम्बर के चुनाव पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उस मेम्बर ने हाई कोर्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, इस पर भी स्टे लगाओ। हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, 'वक्फ बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन हो जाए। इस एक मेम्बर के ऊपर स्टे लगाया है। हमने एलजी साहब के पास फाइल भेजी। एलजी साहब ने पूरे वक्फ बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन पर ही स्टे लगा दिया। एलजी साहब हाई कोर्ट के भी ऊपर हो गए। हाई कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। उसमें फाइल पर लिखकर भेज दिया, जब तक ये एक मेम्बर में हाई कोर्ट में निपटारा नहीं हो जाता... अरे निपटारे में तो चार साल लग जाएंगे। हाई

कोर्ट में तो केस लम्बे–लम्बे चलते हैं, तो तब तक वक्फ बोर्ड नहीं बनेगा। खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन कमा रहा है उनसे पैसा? बड़ी–बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड की। तो हाईकोर्ट ने जिस जिस पर स्टे नहीं दिया, जो मेम्बर गया था चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा नहीं, 'वक्फ बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन पर स्टे नहीं देते, उस पर एलजी ने स्टे दे दिया।

''अक्षय पात्रा'', अक्षय पात्रा एक बहुत ही इज्जतदार एनजीओ है, उसके बोर्ड में नारायण मूर्ति और ये सब लोग हैं। ये सात राज्यों के अंदर मिड–डे–मील स्पलाइ करती है। कर्नाटका में, छतीसगढ में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और दो राज्य और हैं। बीजेपी के सारे स्टेटस हैं। छतीसगढ़ बीजेपी का है, गुजरात बीजेपी का है, राजस्थान बीजेपी का है। इन सारे स्टेटस के अंदर अक्षय पात्रा मिड–डे–मिल स्पलाइ कर रही है। जैसे हमने अभी मोहल्ला क्लीनिक बनाये। दूसरी सरकारें उसको सीख कर वो भी बना रही हैं। ऐसे दूसरी सरकारों ने अक्षय पात्रा को किया। हम वहाँ से सीख कर आए। हमने कहा कि भई उनकी अच्छी बात हम भी सीखते हैं। मैं बंगलौर गया, मनीष जी छतीसगढ़ गए। हम उनकी किचन देखकर आए। हम उनका सारा देखकर आए। इतनी मॉडर्न किचन! तो वो क्या करते हैं, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पाँच रुपये पर बच्चा देती है तो वो पाँच रुपये सरकार से लेते हैं लेकिन वो खाना इतना पौष्टिक और इतना अच्छा देते हैं कि पाँच रुपये में होता नहीं है। वो तीन रुपये एक्ट्रा डोनेशन लेकर आते हैं, अलग–अलग कार्पोरेटस से। तो वो लगभग आठ रुपये का खाना देते हैं। तीन रुपये अपने डालते हैं और पांच रुपये आपसे लेते हैं। इतनी शानदार और मॉडर्न किचन। उनके मॉडर्न इक्विपमैंटस हैं, हाथ लगाते नहीं है, ग्लब्ज पहनते हैं और इतनी साफ सुथरी किचन। हम

काम दिल्ली में भी देंगे। तो हमने उनसे पूछा, सातों स्टेटस में कोई टेंडर नहीं हुआ। सातों स्टेटस में नॉमिनेशन बेसिज पर दिया गया उनको काम। हमने यहाँ पर आकर फाइल शुरू करी। केबिनेट को पॉवर है किसी भी कान्ट्रैक्ट को केवल अक्षय पात्रा नहीं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नॉमिनेशन पर देने की पॉवर है केबिनेट को। केबिनेट ने अक्षय पात्रा को नॉमिनेशन देने के लिए लिखा। एलजी साहब ने फाइल वैसे ही भेज दी वापिस, इस पर टैंडर करो। इससे क्या? जो अच्छे काम बीजेपी के राज्यों में हो रहे हैं, अगर अक्षय पात्रा को गुजरात में, छत्तीसगढ में, राजस्थान में नॉमिनेशन बेसिज पर दिया जा सकता है, दिल्ली में क्यों नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब एलजी साहब दिल्ली को ठप्प करना चाहते हैं। उनकी नीयत खराब है। इसमें किसका नुकसान हुआ? आज भी हमारे बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, मिड–डे–मील के अंदर। उसमें चूहे निकलते हैं, उसमें अलग–अलग गलत खाना मिलता है उन लोगों को। किसका नुकसान हो रहा है। एलजी साहब जवाब दें। देंगे जवाब एलजी साहब? दो दोस्तो! ये पूरा का पूरा इस तरह से है। उनकी नीयत ऐसा लगता है, उनका मकसद बेसिकली दिल्ली को ठप्प करना हैं।

मेरी एलजी साहब से हर बुधवार को मिटिंग होती है वीकली मीटिंग। मैं उसमें से एक दो चीजें आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। इन मीटिंग्स में हाथ जोड़ कर मैं बहुत गिड़गिड़ाया हूँ एलजी साहब के साथ कई सारी स्कीम्स पास कराने के लिए। बहुत गिड़गिड़ाया हूँ। मैने कई बार एलजी साहब को कहा कि एलजी साहब, अगर हम दोनों मिल जाएँ तो हम दिल्ली को कहीं का कहीं पहुँचा सकते हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं, हम दिल्ली को कहीं का कहीं पहुँचा सकते हैं। मैने एलजी साहब को ये भी बोला, मैने कहा सर मैं जानता हूँ आपको बीजेपी ने एप्वाइंट किया है। आपकी

पॉलिटिकल कम्पलशन हो सकती है। अगर आपके ऊपर, ऊपर से किसी प्रपोजल पर प्रेशर आए, आप मेरे को धीरे से बता देना, मैं उस प्रपोजल को खुद ही विदड्रा कर लूँगा। हमारे लिए जरूरी नहीं आपसे लड़ना हर चीज के ऊपर। ये जरूरी थोड़ी ही है कि हर चीज... मान लो आपके ऊपर पीएम से प्रेशर आता है कि इनकी ये चीज रोक दो, आप मेरे को हल्का सा इशारा कर दो, हम उस पर नहीं करेंगे। आप हमें बताओ तो सही, आपकी क्या–क्या कम्पलशन्स हैं। जिस पर ऊपर से प्रेशर नहीं है, वो तो कर दो पास। मैने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, कई बार कोशिश की। लेकिन वो तो हर चीज के ऊपर नेगेटिव। जैसे ही ये राशन वाला था डोर स्टैप डिलीवरी ऑफ राशन। मैने एलजी साहब को दो बार पर्सनली जाकर बोला। मैने कहा सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रपोजल है। अफसरों ने खुद उल्टा सीधा लिख रखा है फाइल के ऊपर। क्योंकि अफसर नहीं चाहते रिश्वखोरी बंद हो। अफसरों को कट मिलता है इसके अंदर। राशन से कट जाता है अफसरों को। मैने कहा सर, इस प्रपोजल को रिजैक्ट मत करना, मेरे को बुला लेना। एक बार बुला लेना। बुलाया भी नहीं उन्होंने एक बार। ये ही गत है मुख्य मंत्री की। ये ही इज्जत है मुख्य मंत्री की, एलजी साहब की नजरों में। कुछ समझते हैं वो चुने हुए प्रतिनिधियों को? मुख्य मंत्री को कुछ समझते हैं? मंत्रियों का कुछ समझते हैं या तानाशाह बन गए हैं? अभी तक जितने भी प्रपोजल पास हुए हैं, वो केवल और केवल मीडिया के प्रेशर में हुए हैं। जब मीडिया ने गत बनाई है इनकी, किसी भी प्रपोजल के ऊपर तुरन्त दो दिन में... अरविंद, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था। और फिर तुरन्त वो फाइल मंगाकर कर देते हैं। तो ऐसी सिचुऐशन बन गई है। एलजी एन्जॉइज कंप्लीट पॉवर विदआउट रिस्पॉन्सिबिल्टी एण्ड विदआउट एकाउंटबिल्टी उनकी कोई एकाउन्टबिल्टी नहीं है और हम लोगों की सारी एकाउन्टबिल्टी हम लोगों की है एण्ड जीरो

पॉवर। ये तो नहीं चल सकता, जिसकी जिम्मेदारी, पॉवर उसी के पास होनी चाहिए। अब ये राशन के ऊपर। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि राशन में गड़बड़ हुई है। पिछले साल मार्च के महीने में मेरी वीकली मीटिंग में एलजी साहब के साथ वेडनेस डे की मीटिंग में मैंने एलजी साहब को कहा था। मैंने एलजी साहब को कहा था, 'मेरे को बहुत... मेरा अपना नेटवर्क है ग्राउंड पे, मेरे को चारों तरफ से खबर आ रही हैं, ये फूड कमिश्नर बहुत ही करप्ट है। मैंने कहा, 'जी, इसको हटा दो।' और पिछले एक साल के अंदर कम से कम तीन बार मैंने वेडनेस डे मीटिंग्स के अंदर एलजी साहब को कहा। मैंने कहा, 'ये फूड कमिश्नर बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है, खूब पैसा चल रहा है डिपार्टमैंट के अंदर, इसको हटा दो किसी ईमानदार आदमी को बना दो।' एलजी साहब ने उसको नहीं हटाया। किसी जिम्मेदार. आज अगर राशन के अंदर चोरी मिल रही है, क्यों नहीं हटाया उन्होंने? तो मैं निवेदन करता हूँ जो पीएसी है, वो पीएसी एलजी साहब और इस फूड कमिश्नर के बीच के रिलेशनशिप क्या हैं, उसकी भी जाँच करे ये पीएसी। और जो सीबीआई को मामला भेजा जाएगा, उसमें भी ये रेफर किया जाए कि एलजी के और इस फूड कमिश्नर के बीच के क्या रिलेशनशिप हैं, इसकी जाँच की जाए। मैंने कहा, 'जी, आज जी, डोर स्टेप डिलीवरी कर दो राशन की।' उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म करें अब? आज सीएजी ने कह दिया, 'भ्रष्टाचार हो रहा है।' आज भी फूड कमिश्नर को नहीं हटाया इन्होंने। उसके अंदर जो जो अधिकारियों की गड़बड़ है, उनको कौन हटाएगा इन लोगों को? या ये ऐसे ही चलेगा अब ऐसे ढाँचा चलता रहेगा?

तो दोस्तों मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो एक फैक्टरी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, मार्किट में एक प्रोडक्ट बेचती

है बना के। अब अगर रूल ऐसा बना दिया जाए कि उस फैक्टरी के अंदर जो जनरल मैनेजर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जितने नीचे मैनेजर, जितने नीचे इंजीनियर, जितने काम करने वाले हैं, उनकी अप्वाइंटमैंट उस सेक्रेटरी का जो सबसे बड़ा कंपीटीटर है, वो उनकी अप्वाइंटमैंट करेगा, उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन कंपीटीटर है, वो उसकी अप्वाइंटमैंट करेगा उस फैक्टरी के अंदर। उस फैक्टरी में अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी पॉवर उनके दुश्मन कंपीटिटर के पास है और उसके अंदर जितनी वैकेंसियाँ हैं, उन वैकेंसियों को भी वो ही भरेगा। तो वो जानबूझ के आधी खाली छोड़ेगा कि इनकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी। अच्छा है! अच्छा है! बढ़िया है! प्रोडक्शन ही नहीं होगी, माल क्या बेचेंगे मार्किट के अंदर? फिर वो जितने निर्णय लेगी कंपनी, कंपनी सोचती है यार मैं माल सस्ता खरीदूँ, ज्यादा रेट में बेचूँ, मार्किट ढूँढू। जो निर्णय लेगी, वो निर्णय भी अप्रूवल वो देगा, दुश्मन देगा। दुश्मन देगा, दुश्मन कहेगा, नहीं–नहीं, ये सस्ते में माल नहीं खरीदना, महंगा खरीदो। तो वो फैक्टरी चलेगी कैसे? फैक्टरी तो ठप्प होनी ही होनी है। यही हाल आज दिल्ली का है। दिल्ली के पास एलजी साहब के पास सारी पॉवर्स हैं, वो सारी पॉवर्स को केवल और केवल दिल्ली को ठप्प करने में लगे हुए हैं। जानबूझकर मुझे लगता है ऐसे ऑफिसर्स को क्रिटिकल पोस्टस पे पोस्ट किया जा रहा है, जो उस डिपार्टमैंट का भट्ठा बिठा दें। जानबूझ के मुझे लगता है, वैकेंसीस भरी नहीं जा रही हैं ताकि दिल्ली सरकार ठप्प हो जाए। जानबूझ के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ इन्होंने शिक्षा मंत्री ने पिछले साल सितम्बर के महीने में एक अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट भेजी करप्शन की। उस अधिकारी ने हाई कोर्ट के अंदर झूठा ऐफिडेविट फाइल किया था, पकड़ा गया वो अधिकारी। इन्होंने कंप्लेंट भेजी जी सीबीआई को रेफर करो। आज छः महीने हो गए, एलजी साहब ने एक्नॉलेजमैंट भी नहीं मिला कोई कि शिक्षामंत्री जी तुम्हारी चिट्ठी मिल गयी। ये तो हालत है,

मतलब इतनी इज्जत करते हैं वो शिक्षामंत्री की। क्या किया उसका, दो बार जब मैं वीकली मीटिंग हुई, मैंने खुद कहा, मैंने कहा, 'जी वो मनीष जी चिंतित हैं, एक आपको चिट्ठी भेजी थी, एक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया है, आप उसपे एक्शन लो। कोई जवाब ही नहीं देते। तो क्यों नहीं जवाब देते? स्वास्थ्य मंत्री ने आउटसोर्सिंग के केस में एक सीबीआई को रेफर किया था एलजी साहब को कि ये मामला सीबीआई... आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो भ्रष्टाचारी उनको बचाना, वैकेंसियों को खाली रखना, गलत अफसरों को क्रिटिकल पोस्ट पे पोस्ट करना, ये सब क्या दिखाता है? और जितनी हमारी क्रिटिकल स्कीमें हैं, उनको सबको ठप्प कर देना, केवल एक ही चीज दिखाता है कि एलजी साहब दिल्ली को ठप्प करना चाहते हैं और ठीकरा हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं कि ये लोग। मेरा एक ही क्वेश्चन है, ***"Who is LG accountable to? Is he accountable to the queen of England or he is accountable to the president of United States or he is accountable to the prime minister of India or he is accountable to the Home Minister of India or he is accountable to Delhi Assembly or he is accountable to none? He is actually accountable to none and practically he is accountable to only BJP.' BJP ne unko banaya hai. Unki kursi tab tak hai jab tak BJP chahegi. To prictically he is accountable to BJP. Aid and advice of council of ministers of Delhi Govt. is not binding on the LG, Aid And Advice of BJP is binding on LG.'***

जिस दिन एलजी ने बीजेपी की एड एंड एडवाइज नहीं मानीं, 24 घंटे के अंदर उनको रस्ता बाहर का दिखा देंगे कि... तो दोस्तों मेरे को लगता है कि समाधान यही है जो पॉवर्स शीला जी के पास थीं, वो वाली

सारी पावर्स दिल्ली सरकार को रेस्टोर की जाएं। सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास हमेशा से था, दिल्ली सरकार के पास आना चाहिए। ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉवर्स दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए। ऑफिसर्स के खिलाफ विजिलेंस की प्रोसिंडिंग्स की, डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्स की, सस्पेंड करने की, डिस्मिस करने की पॉवर दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए। एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर सख्त कदम उठाया जा सके और कोई भी फाइल दिल्ली सरकार के पास एलजी के पास नहीं जानी चाहिए। जैसे दूसरे स्टेट्स के अंदर होता है। सारा काम गवर्नर के नाम पे होता है लेकिन फाइलें कोई एलजी के पास या गवर्नर के पास नहीं जाती। मेरा अपना ये मानना है, जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आर्टिकल है कंस्टीटयूशन में, वो केवल और केवल एलजी उन विषयों के ऊपर एक्प्रेस... ये क्यों रखा गया था? दिल्ली को आधा यूनियन टेरीटरी क्यों बनाया? क्योंकि केन्द्र सरकार को एक ये डर था कि दिल्ली में अगर कोई ऐसी सरकार आ गयी क्योंकि केन्द्र सरकार का सारा ढाँचा यहाँ पे है, क्योंकि ये राजधानी है तो केन्द्र सरकार के इंटरेस्ट्स को कभी किसी तरह से वॉयलेट न किया जाए। तो एलजी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केवल और केवल उन विषयों पे होना चाहिए जहाँ पे केन्द्र सरकार के इंटरेस्ट्स का कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। मान लो केन्द्र सरकार की कोई जमीन है, हम उसपे कुछ करना चालू कर दें, उसमें एलजी का इंटरफेयरेंस होना चाहिए। ये डे–टू–डे राशन, बिजली, पानी सड़कें, इसके ऊपर एलजी का कोई से नहीं होना चाहिए और एलजी को कोई फाइल नहीं जानी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने एलजी साहब को समझाओ। मेरी प्रधानमंत्री जी से अंत में यही निवेदन है लाइन को लंबा खींचो जो अभी अखिलेश ने बोला था, 'हमने हजार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप एक लाख

बना के दिखाओ पूरे देश में। तब जनता आपकी तारीफ करेगी। हम हजार मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं अब केजरीवाल को सौ तक सीमित कर दो, तो इस देश की जनता ऐसी नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करती। मनीष सिसोदिया 250 स्कूल बना रहा है, आप प्रधानमंत्री हो ढ़ाई लाख बना के दिखाओ स्कूल पूरे देश के अंदर। मनीष सिसोदिया 20 कालेज बनाने की बात करता है, आप 2 लाख कालेज बनाओ पूरे देश के अंदर तब आपकी वाह–वाह है। आप मनीष सिसोदिया के 20 कालेज में अनिल बैजल को फोन करके बोलोगे, 'इसको कालेज न बनने दियो।' तो लंबी लाइन खींचो। पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति करना बंद करो। शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः आज सभी विधान सभाओं में डांस फॉर डेमोक्रेसी के तहत आज कार्यक्रम होने हैं। 5 बजे से सभी विधायकों को उसमें जाना भी है। निवेदन है कि अब सोमवार दोपहर दो बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही सोमवार दोपहर दो बजे तक के लिए सदन स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।